स्वामित्व दस्तावेज़ पंजीयन

मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत किए गए सर्वेक्षण एवं ड्रोन सर्वे में ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके भूखंड हेतु भू-अभिलेख आधिकार प्रदान किए गए थे। अब शासन द्वारा कानूनी मालिकाना हक (**पंजीकृत संपत्ति दस्तावेज**) पूरी तरह निःशुल्क दिया जा रहा है।

योजना के मुख्य बिंदु

- निःशुल्क रजिस्ट्री: मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण संपत्तियों की रजिस्ट्री, स्टाम्प शुल्क, पंचायत उपकर और अन्य पंजीयन शुल्क का पूरा खर्च खुद उठा रही है।
- लक्ष्य: राज्य के 55 जिलों में लगभग 48 लाख से अधिक निजी संपत्तियों को कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

योजना के लाभ

- बैंक लोन आसानी से: वैध दस्तावेज मिलने से ग्रामीण अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में इस्तेमाल करके बैंक से कर्ज ले सकते हैं।

स्वामित्व दस्तावेज़ पंजीयन प्रक्रिया

स्वामित्व दस्तावेज़ आवेदन

भूस्वामी अपने घर में बैठकर MPeSeva एप से स्वामित्व दस्तावेज़ हेतु आवेदन करेगा

1

2

पटवारी SAARA एप के माध्यम से आवेदन का सत्यापन करेंगे तथा पंजीयन हेतु दस्तावेज़ को तहसीलदार को प्रेषित करेंगे

3

तहसीलदार SAMPADA एप के माध्यम से स्वामित्व दस्तावेज़ का पंजीयन करेंगे

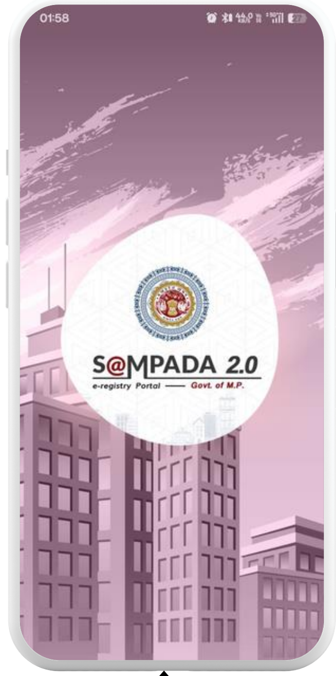

स्वामित्व दस्तावेज़ पंजीयन पूर्ण

स्वामित्व दस्तावेज़ पंजीयन प्रक्रिया

1

यदि भूस्वामी स्वयं आवेदन करने में सक्षम नहीं है, तो वह पटवारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा ऐसी स्थिति में पटवारी द्वारा SAARA ऐप के माध्यम से भूस्वामी की ओर से आवेदन की पूरी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

स्वामित्व दस्तावेज़ आवेदन

2

पटवारी SAARA एप के माध्यम से आवेदन का सत्यापन करेंगे तथा पंजीयन हेतु दस्तावेज़ को तहसीलदार को प्रेषित करेंगे

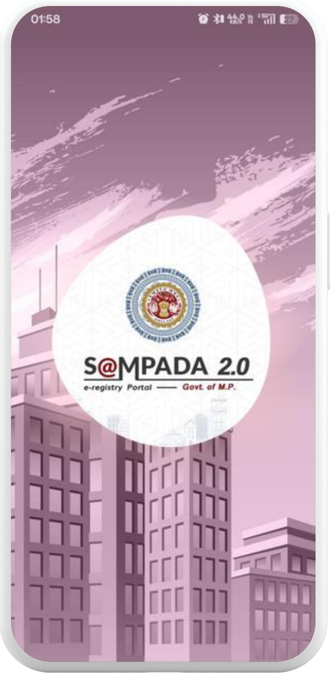

3

तहसीलदार SAMPADA एप के माध्यम से स्वामित्व दस्तावेज़ का पंजीयन करेंगे

स्वामित्व दस्तावेज़ पंजीयन पूर्ण

स्वामित्व दस्तावेज़ पंजीयन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण जानकारी

- स्वामित्व योजना के अंतगत किए गए सर्वेक्षण का डाटा - भूखंडों की सूची, उनके भूस्वामी की तथा विवरण संबंधित जानकारी CLR से प्राप्त होगा |
- MP eSeva में आवेदन हेतु भूस्वामी का समग्र होना तथा समग्र में आधार eKYC होना अनिवार्य है |
- भूखंड से भूस्वामी का आधार से लिंक होना अनिवार्य है |
- गवाह हेतु समग्र होना तथा समग्र में आधार eKYC होना अनिवार्य है |

मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

MP

eSEVA

YOUR GATEWAY TO A DIGITAL MP

चरण 1: एमपी ई-सेवा ऐप में लॉगिन करें

एमपी ई-सेवा ऐप खोलें। यदि आपके पास 9 अंकों की समग्र आईडी है, तो उसे निर्धारित स्थान पर दर्ज करें अथ्वा अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। OTP भेजें बटन पर क्लिक करें। प्राप्त OTP दर्ज कर सफलतापूर्वक लॉगिन करें।

- एमपी ई-सेवा ऐप डाउनलोड लिंक : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mpsedc.unified_portal

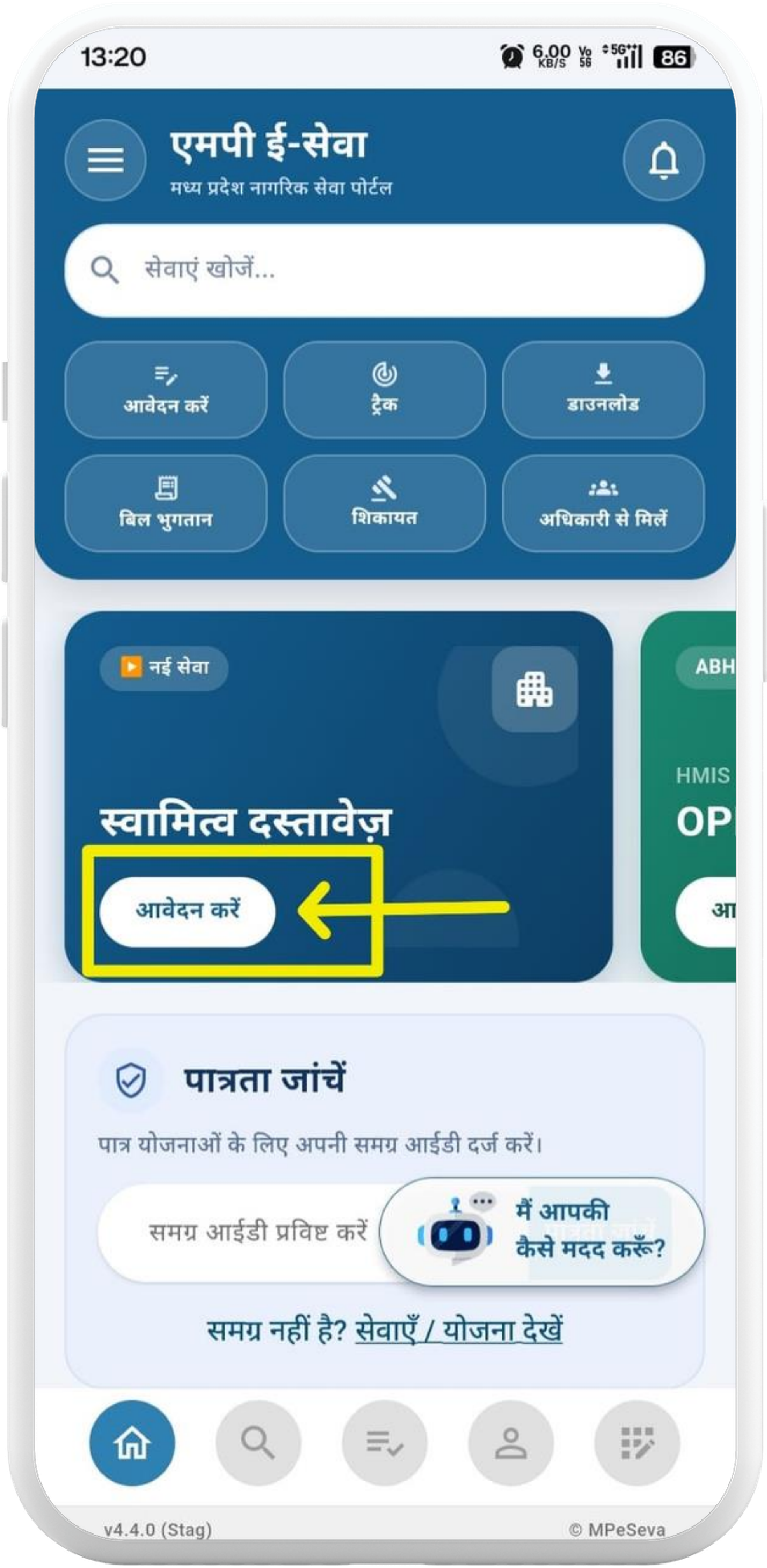

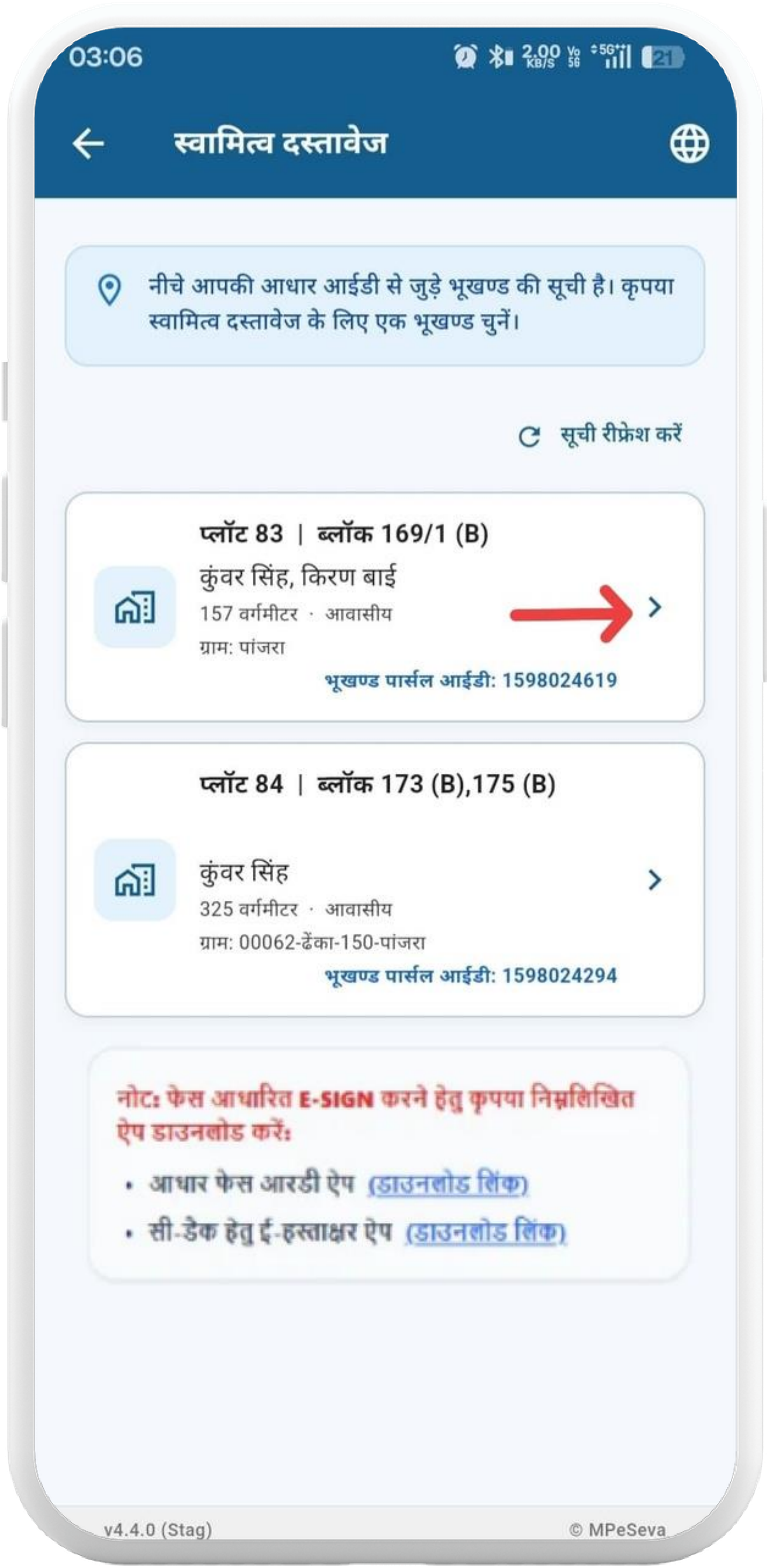

चरण 2: स्वामित्व दस्तावेज़ आवेदन प्रारंभ करें

- एमपी ई-सेवा ऐप में लॉगिन करने के बाद होम स्क्रीन पर उपलब्ध "स्वामित्व दस्तावेज़" सेवा में "आवेदन करें" बटन पर क्लिक करें।
- "आपके भूखंडों की सूची" में प्रदर्शित भूखंडों का विवरण देखें। जिस भूखंड के लिए स्वामित्व दस्तावेज़ हेतु आवेदन करना है, उसका चयन करें।

महत्वपूर्ण निर्देश

- यदि भूस्वामी का समग्र में आधार eKYC नहीं होगा तो उसे भूखंड की सूची प्रदर्शित नहीं होगी। एसी स्तिथि में भूस्वामी एप में प्रोफाइल में जाकर समग्र में आधार eKYC पूर्ण कर सकता है ।

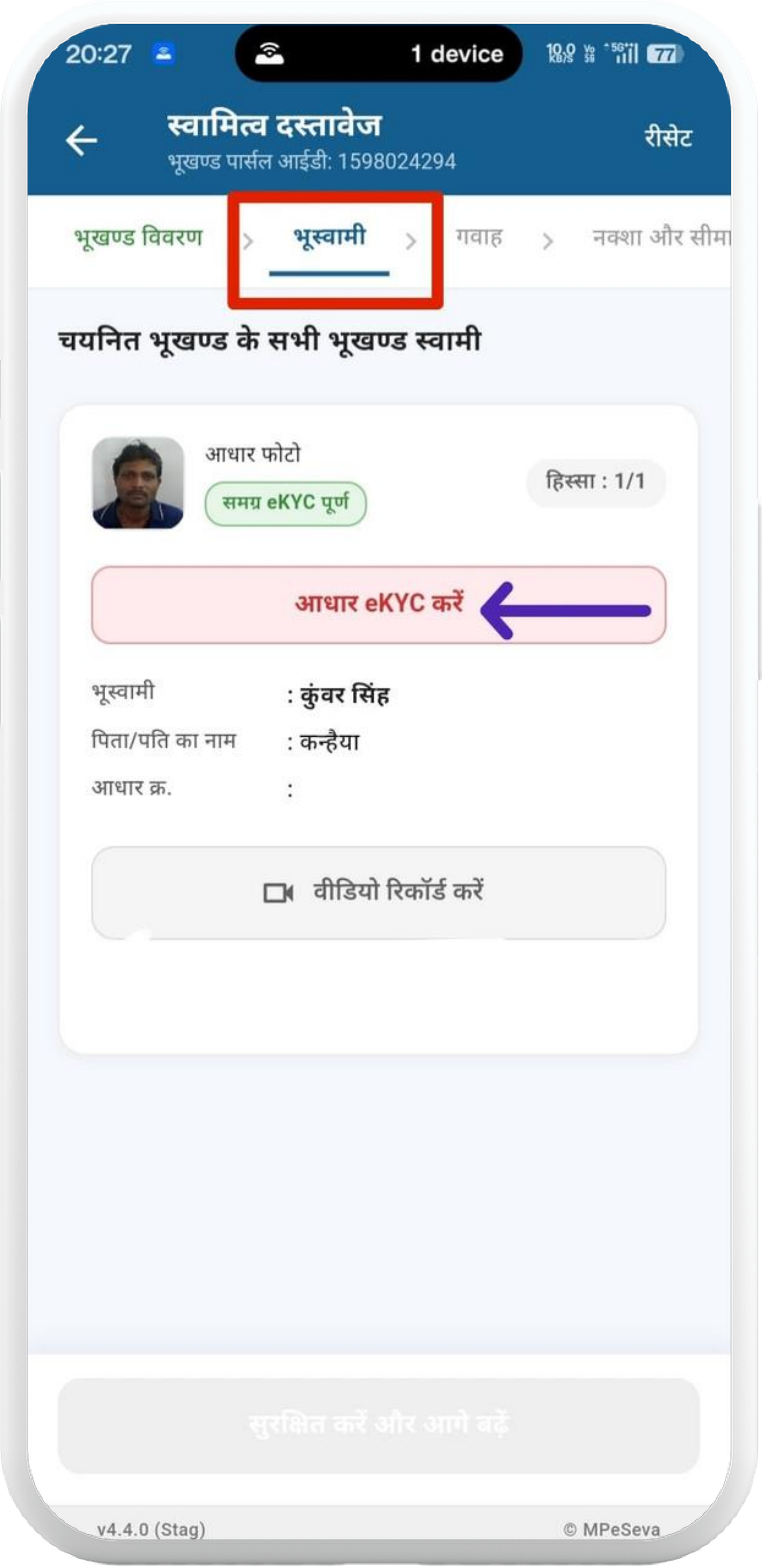

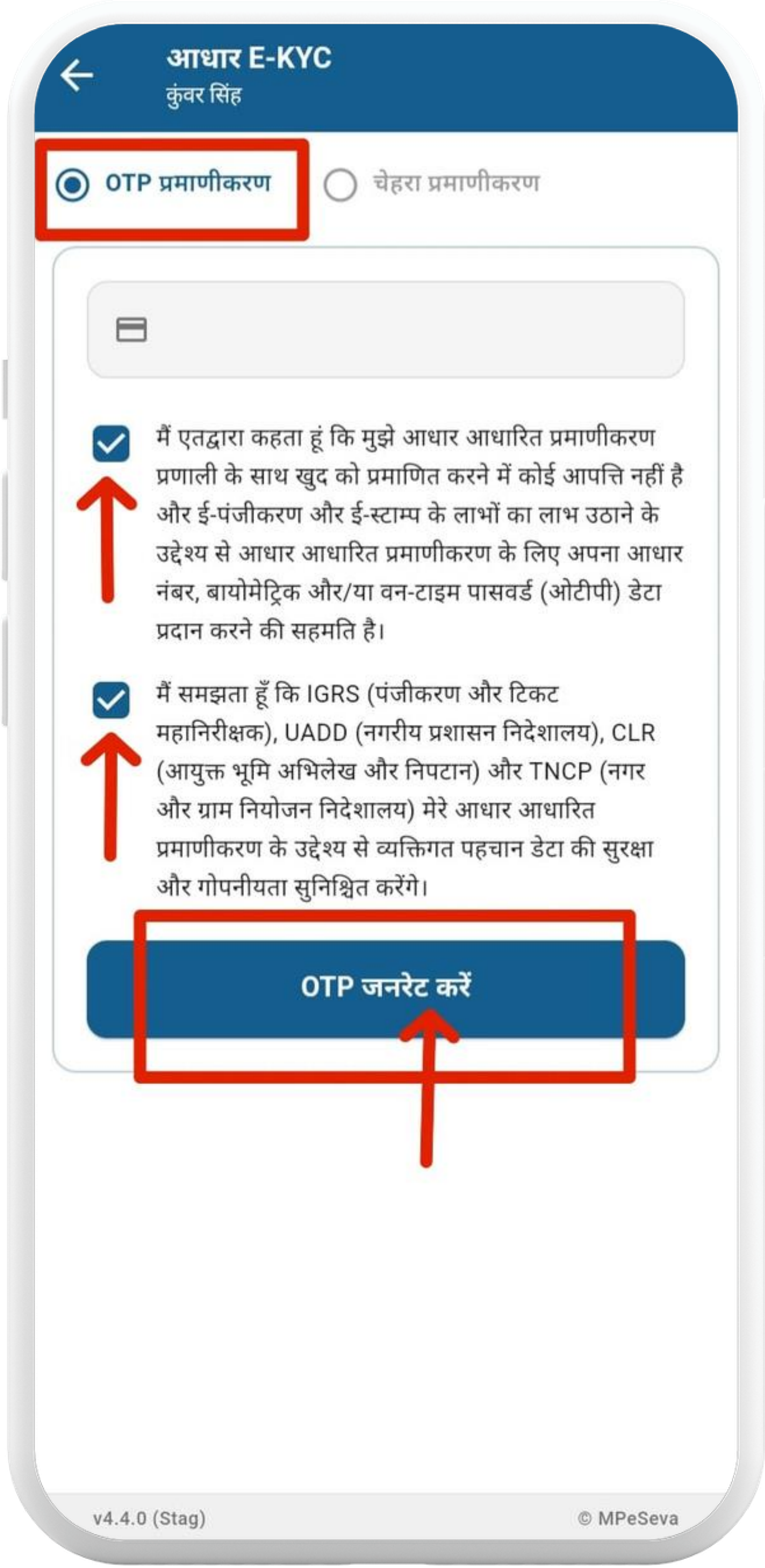

चरण 3: भूमिस्वामी व गवाह विवरण

- चयनित भूखंड के "भूस्वामी" टैब पर संबंधित प्रत्येक भू-स्वामियों की जानकारी (भू-स्वामी की आधार फोटो, समग्र eKYC की स्थिति तथा अन्य विवरण) प्रदर्शित होगी।
- "आधार eKYC करें" विकल्प पर क्लिक करें।

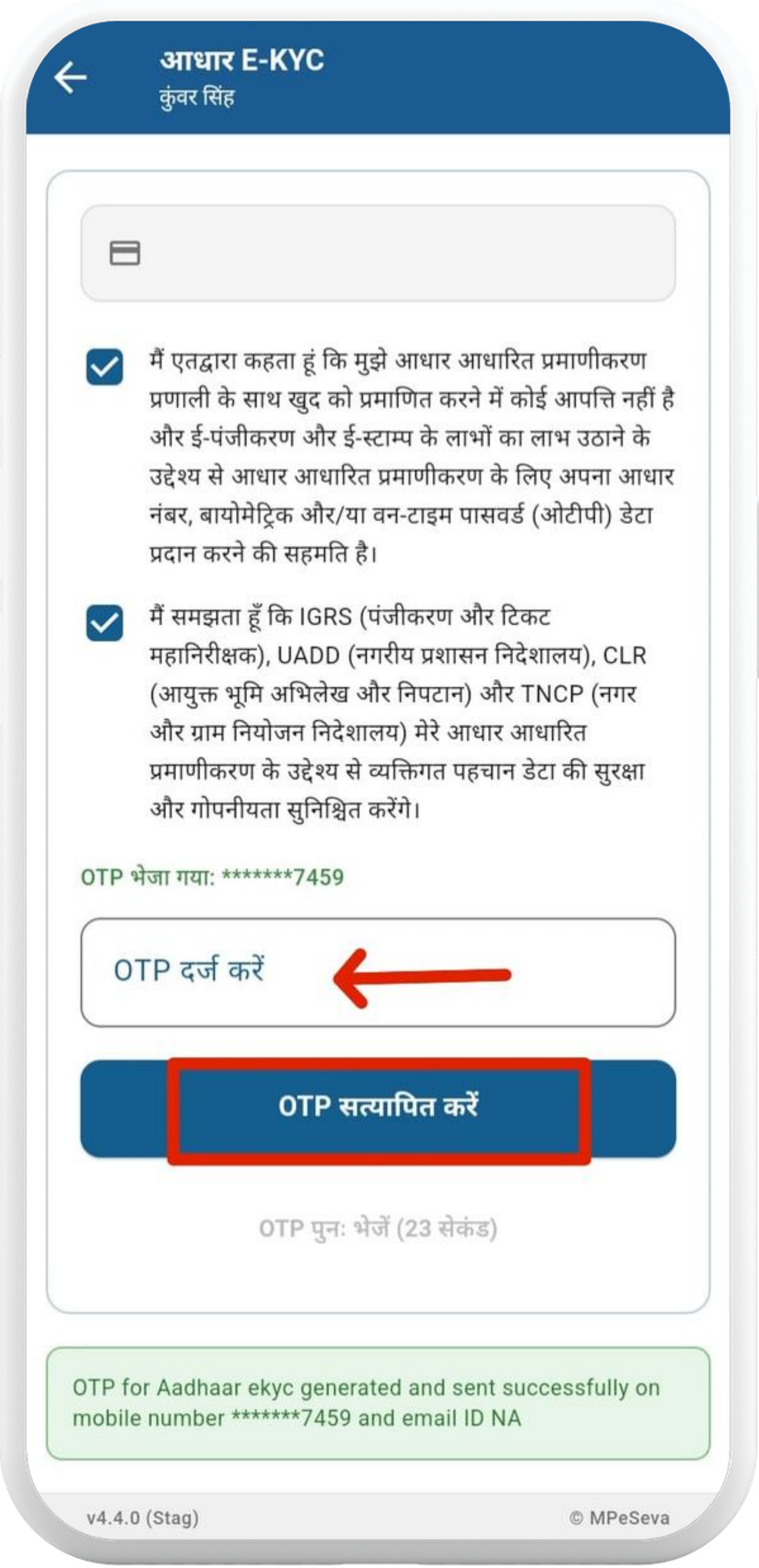

चरण 4: आधार eKYC

- आधार eKYC के लिए “OTP प्रमाणीकरण” विकल्प में प्रदर्शित सहमति विवरण पढ़ें और दोनों सहमति बॉक्स पर टिक करें। “OTP जनरेट करें” पर क्लिक करें। आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को “OTP दर्ज करें” स्थान पर दर्ज करें।
- “OTP सत्यापित करें” पर क्लिक करें। सत्यापन सफल होने पर आधार eKYC की स्थिति “आधार eKYC पूर्ण” दिखाई देगी।

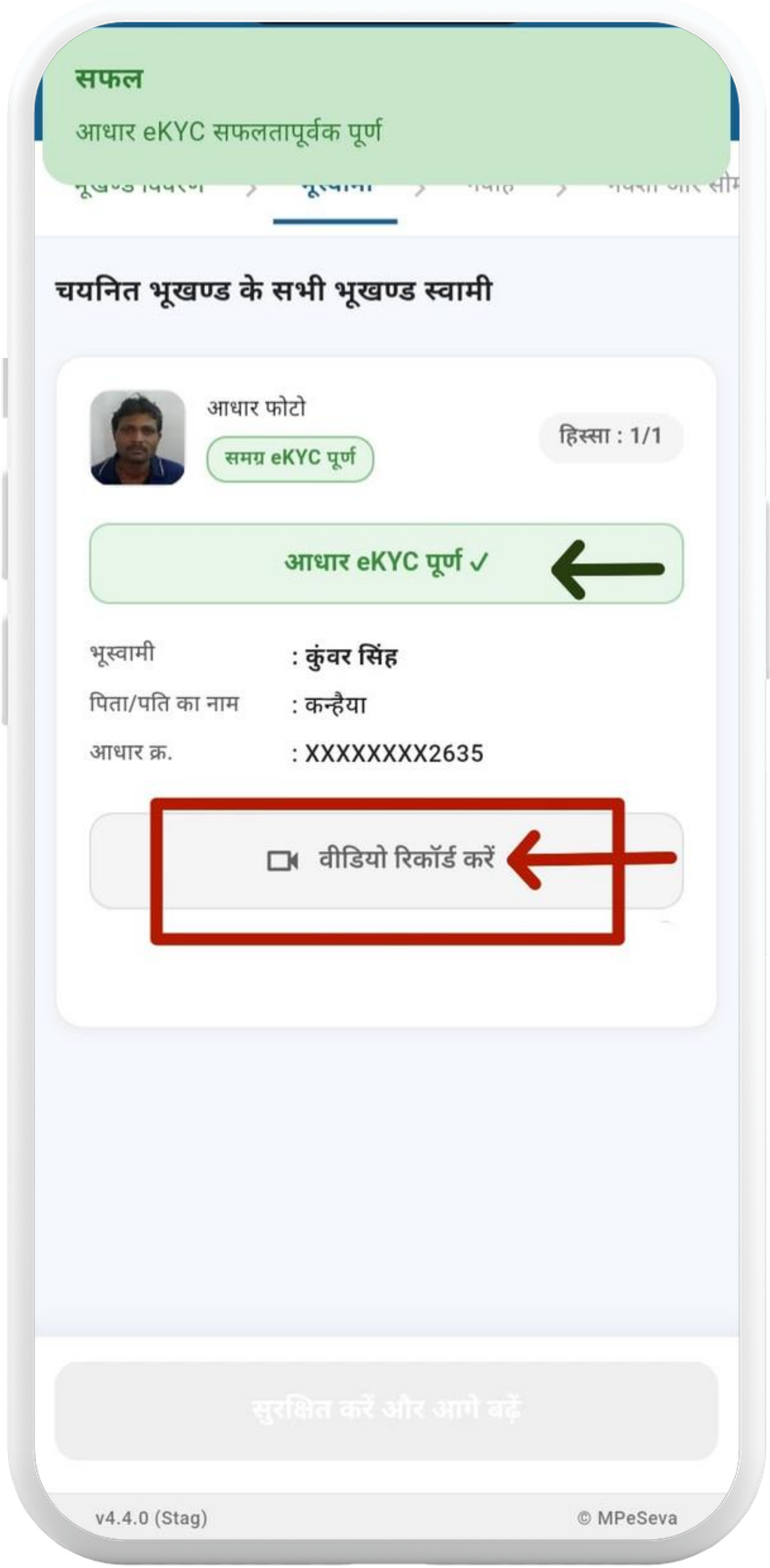

चरण 5: वीडियो रिकॉर्डिंग करें

- "वीडियो रिकॉर्ड करें" बटन पर क्लिक करें।
- "रिकॉर्ड शुरू करें" बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर प्रदर्शित वाक्य को ज़ोर से और स्पष्ट रूप से पढ़ें।
- अथवा, स्पीकर बटन पर क्लिक कर निर्देश सुनें तथा स्क्रीन पर प्रदर्शित वाक्य को ज़ोर से और स्पष्ट रूप से पढ़ें।

चरण 5: वीडियो रिकॉर्डिंग करें

- वीडियो रिकॉर्डिंग पूर्ण होने के बाद स्क्रीन पर "रिकॉर्डिंग रोकें" बटन पर क्लिक करें।

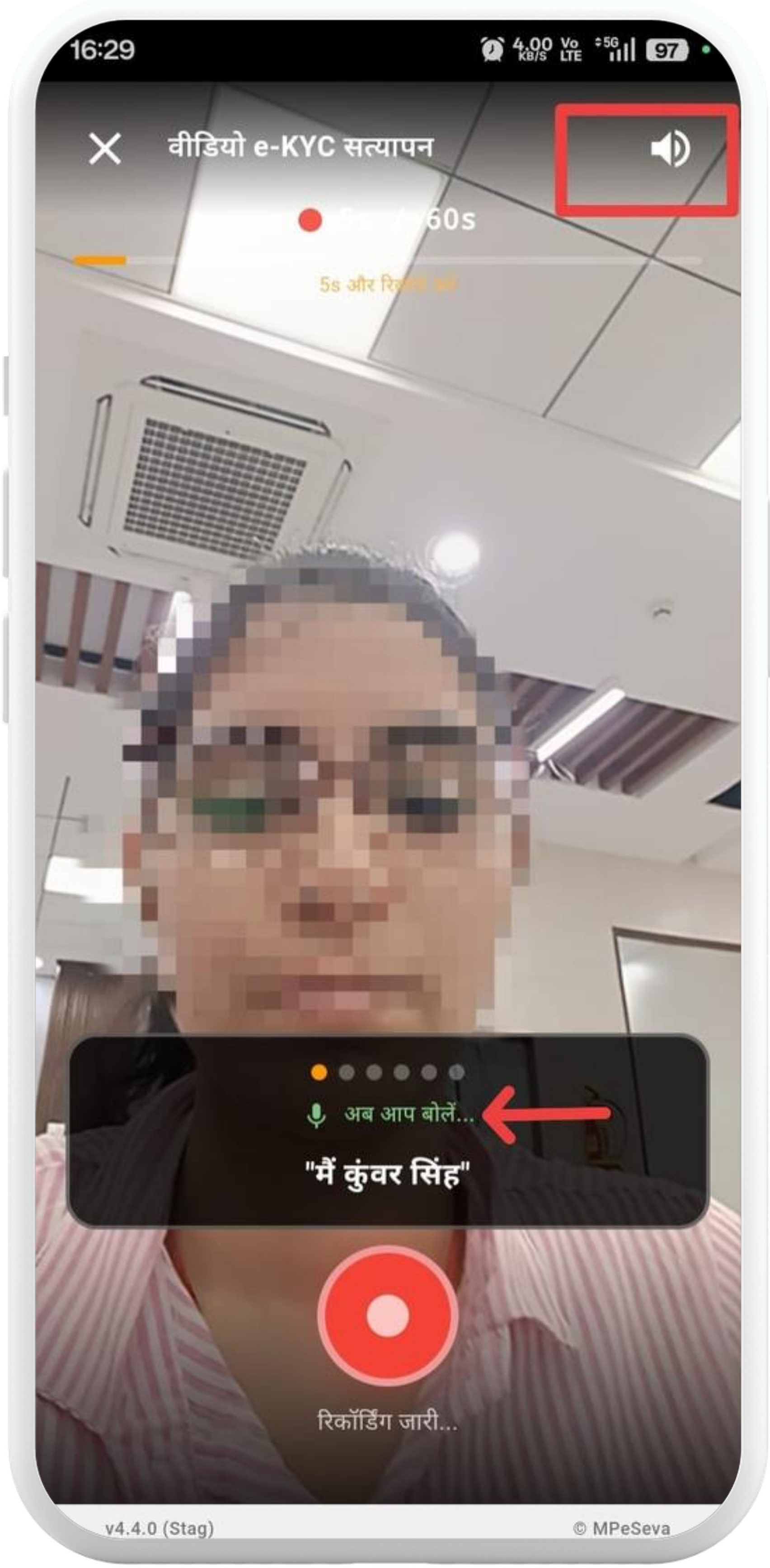

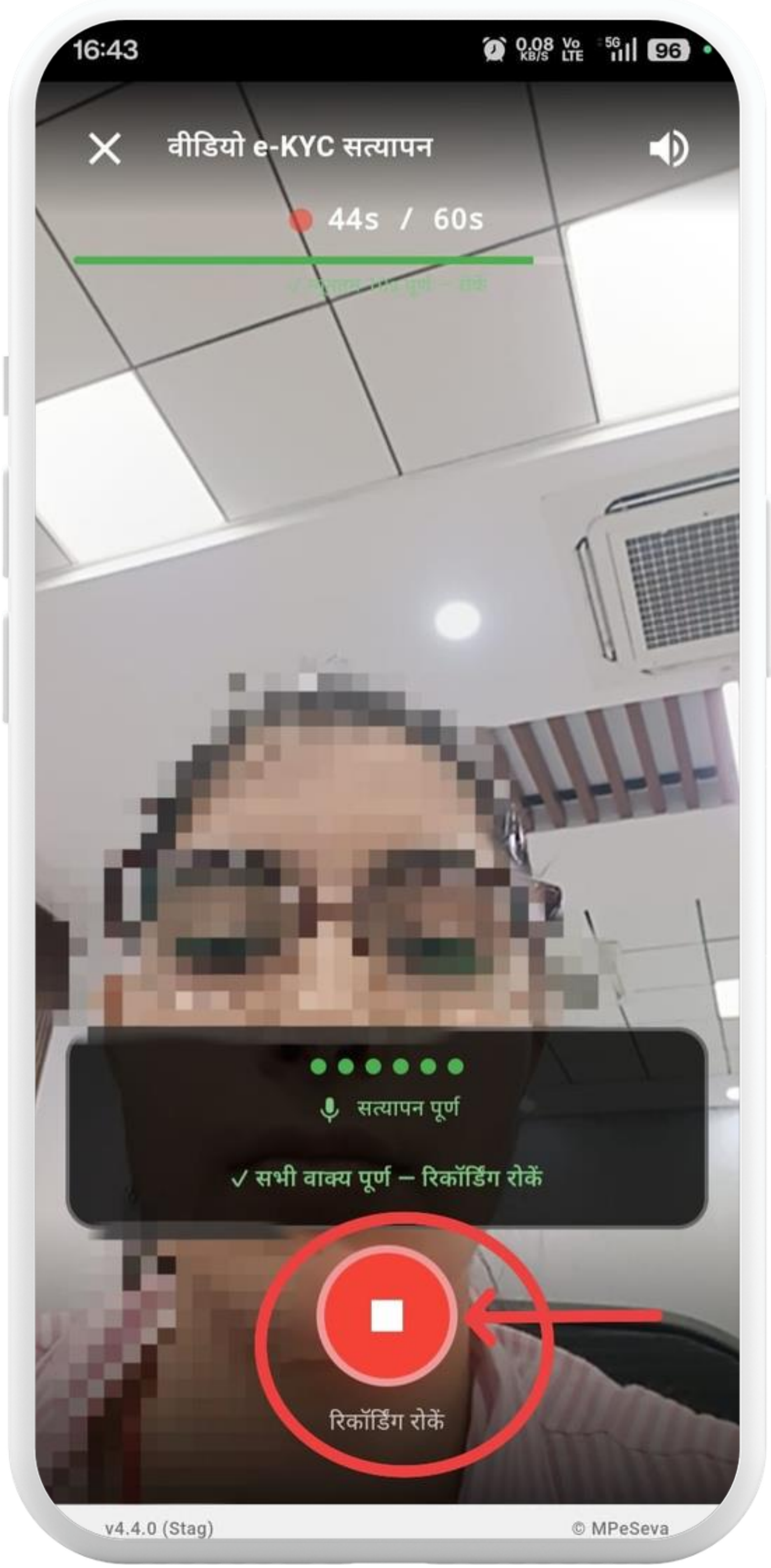

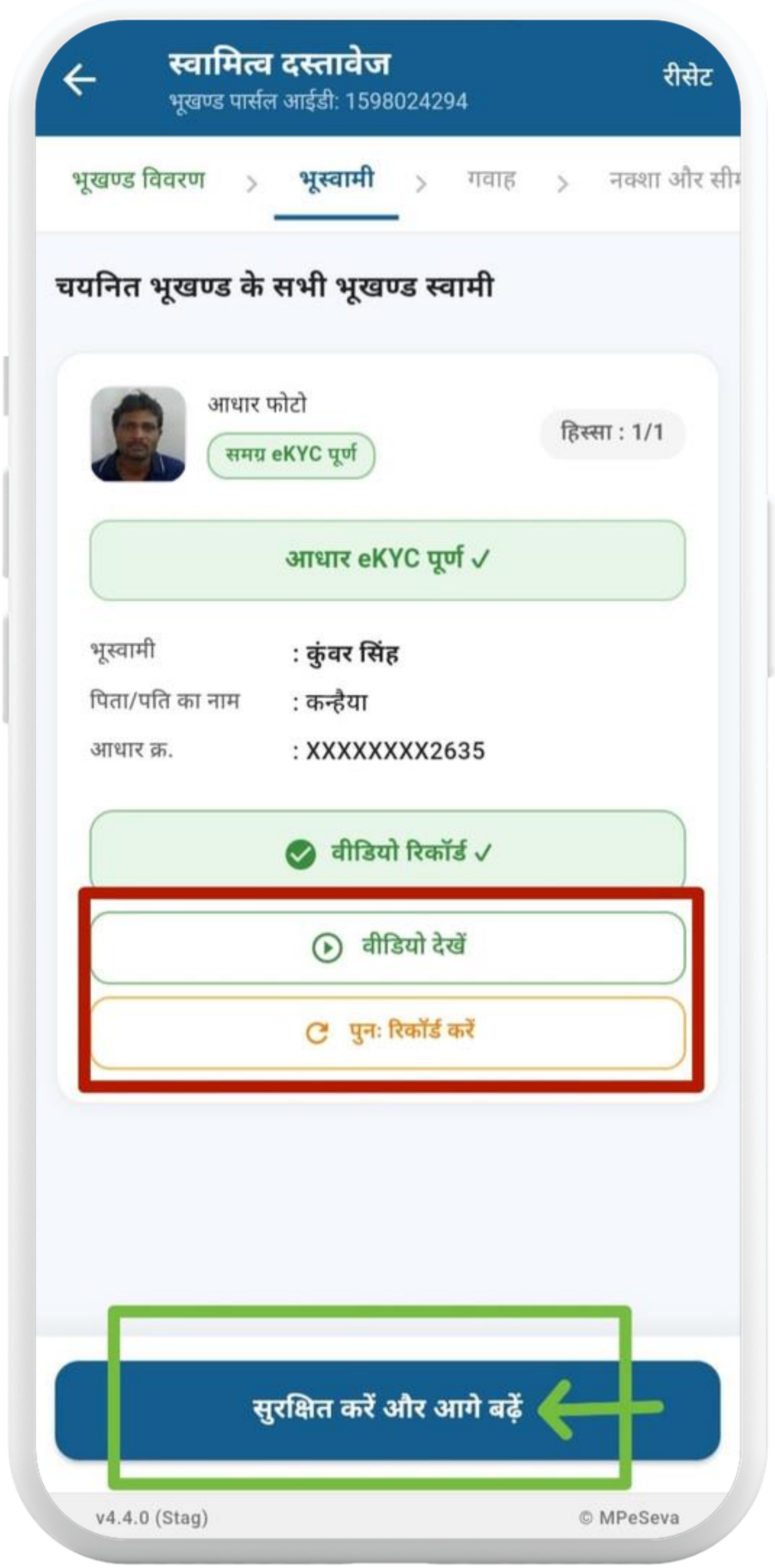

- वीडियो रिकॉर्डिंग पूर्ण होने के बाद सेव कर आगे बढ़ें ।

- यदि रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखना चाहते हैं, तो "देखें" बटन पर क्लिक करें। यदि वीडियो बदलना चाहते हैं, तो "पुनः रिकॉर्ड करें" बटन पर क्लिक करें।

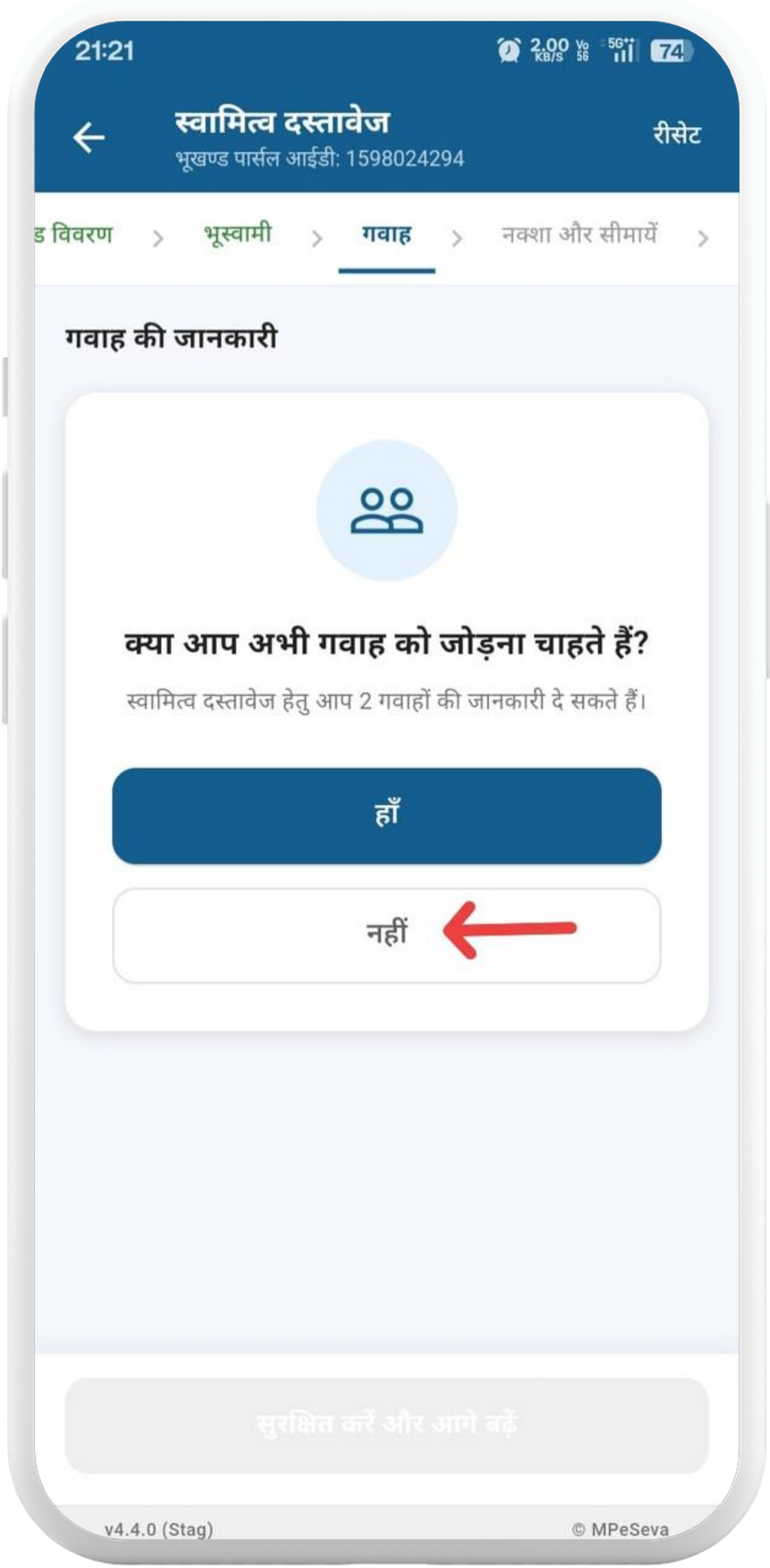

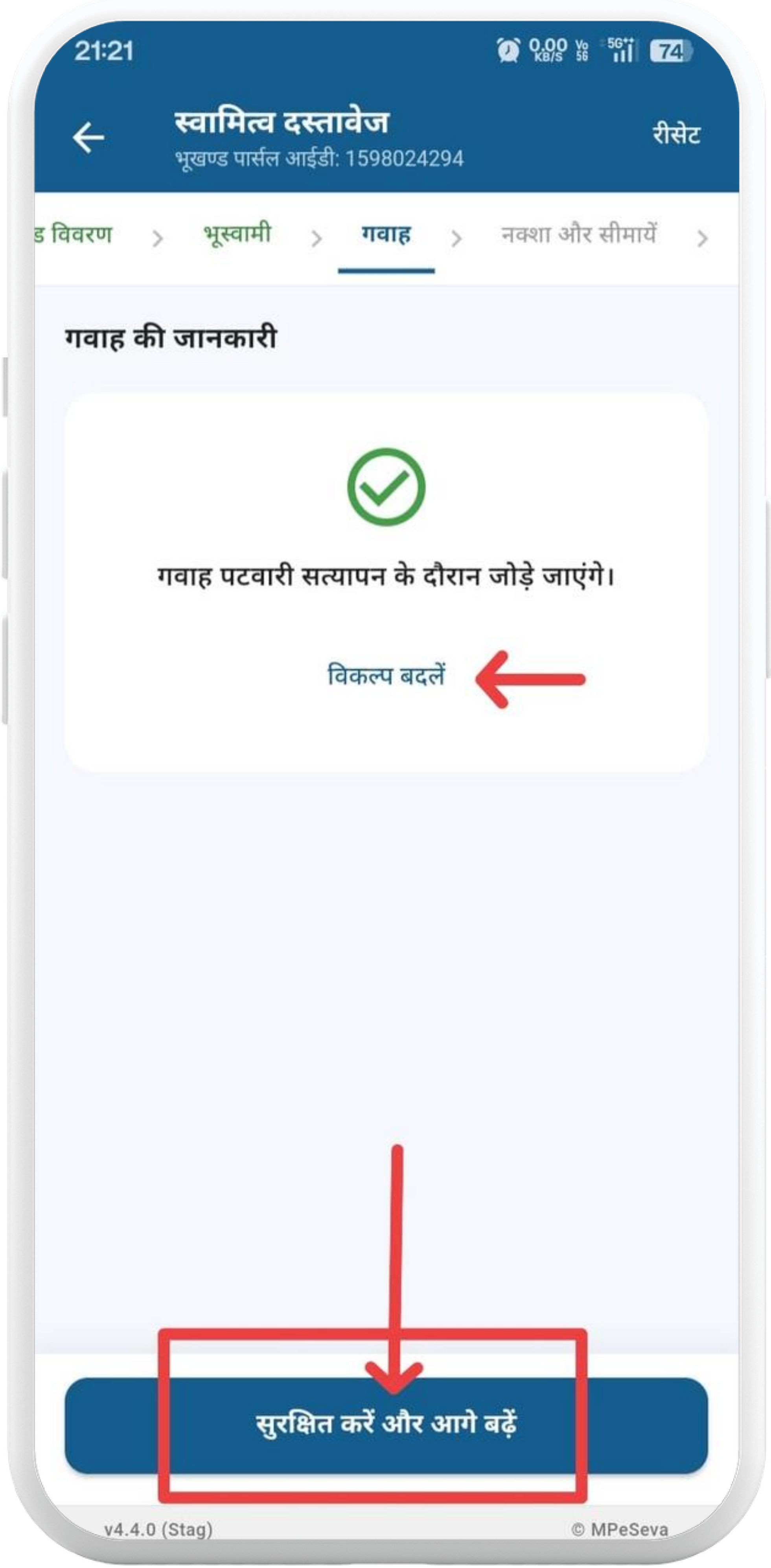

चरण 6: गवाह जोड़ें

- सभी भूस्वामियों की वीडियो रिकॉर्डिंग पूर्ण होने के बाद "क्या आप अभी गवाहों को जोड़ना चाहते हैं?" अनुभाग में हाँ या नहीं विकल्प का चयन करें |

- यदि नहीं का चयन करते हैं, तो गवाहों को पटवारी सत्यापन के समय जोड़ा जाएगा। सेव कर आगे बढ़ें ।

चरण 6: गवाह जोड़ें

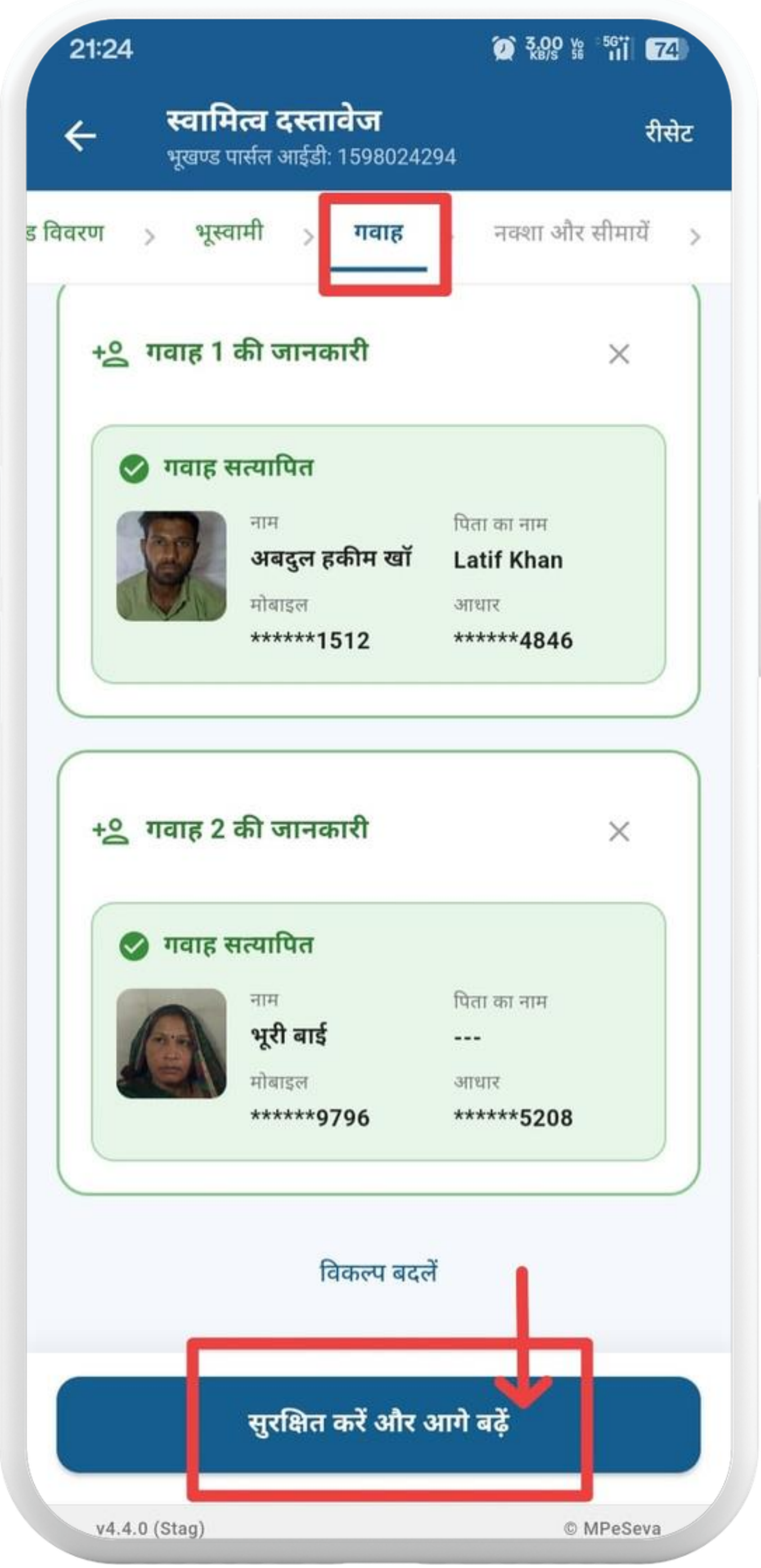

- यदि आप हाँ का चयन करते हैं, तो गवाह के समग्र से लिंक 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें। "OTP प्राप्त करें" बटन पर क्लिक करें। OTP दर्ज कर सत्यापित करें। जोड़े गए गवाहों की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

- सभी जानकारी की पुष्टि करने के बाद "सेव कर आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करें।

चरण 7: भूखंड का विवरण

- प्रदर्शित चतुर्सीमा विवरण (उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम), संपत्ति का नक्शा / मानचित्र, भूखंड का ड्रोन छायाचित्र देखें यदि भू-संसाधन प्रबंधन से चतुर्सीमा विवरण प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधित विवरण स्वयं दर्ज करें। यदि कोई उपबंध आपके भूखंड पर लागू होता है, तो उसके सामने दिए गए चेक बॉक्स का चयन करें। "सेव करें और आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करें।

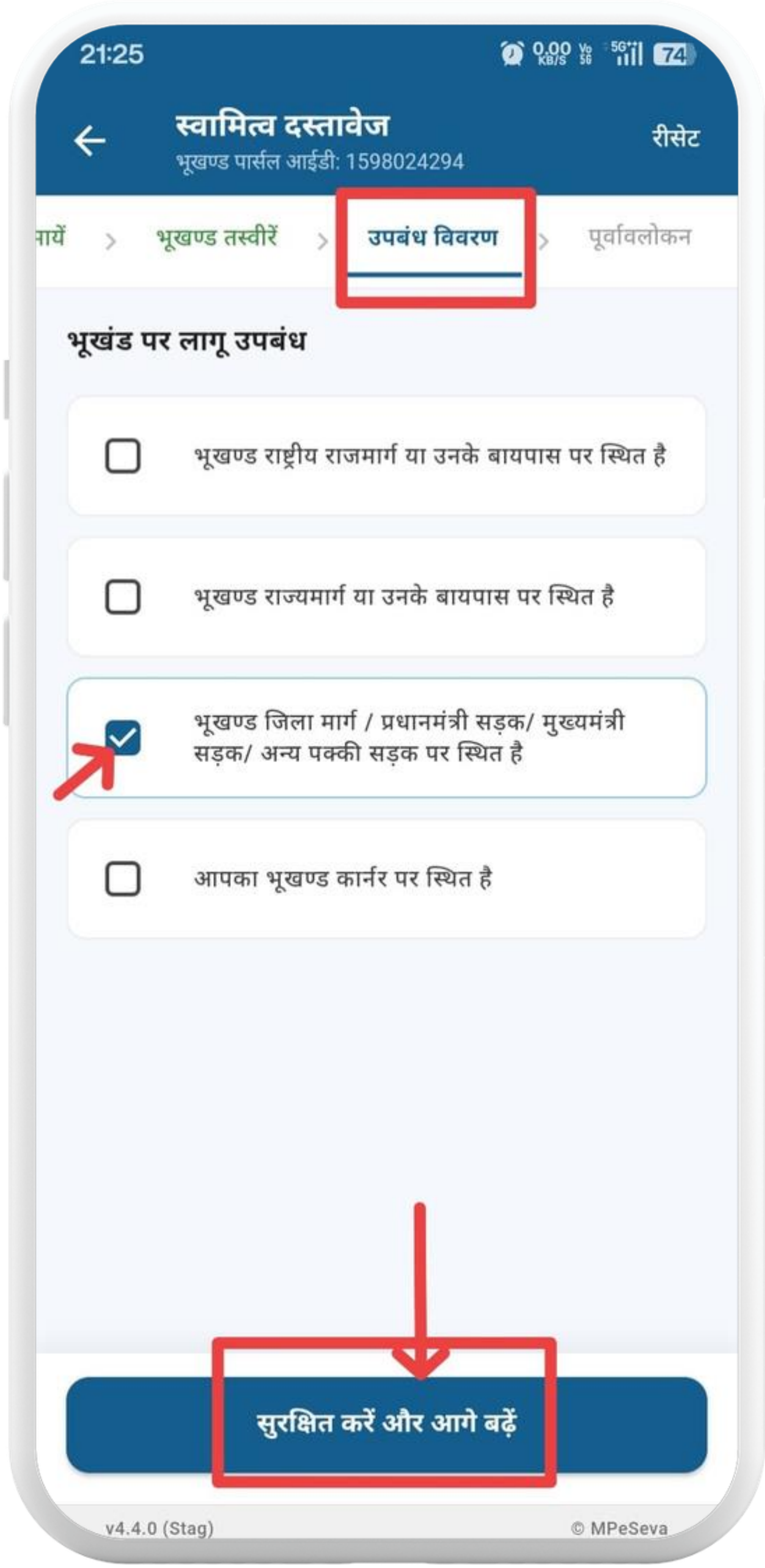

चरण 8: आवेदन का अवलोकन करें एवं सबमिट करें

- वीडियो अपलोड करें। सभी जानकारी का अवलोकन करने के बाद, “आवेदन सबमिट करें" बटन पर क्लिक करें।
- पटवारी सत्यापन हेतु आवेदन आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने पर "आवेदन सफल " संदेश प्रदर्शित होगा।

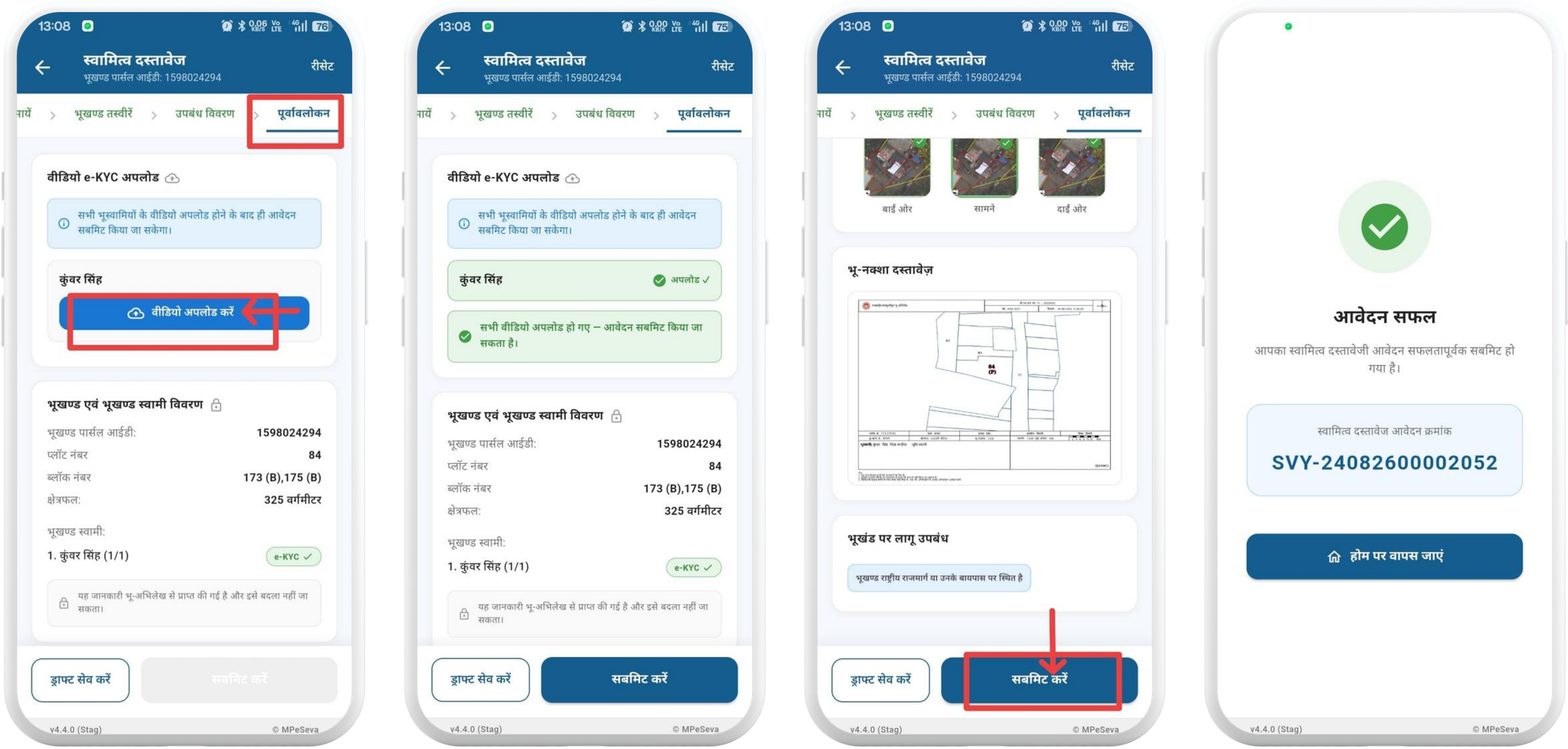

स्थिति (Status)	**अर्थ / विवरण**
ड्राफ्ट	आवेदन प्रारंभ कर लिया गया है, किंतु अभी तक सबमिट नहीं किया गया है।
पटवारी सत्यापन लंबित	आवेदन सबमिट किया जा चुका है, किंतु पटवारी द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया अभी लंबित है।
e-Sign लंबित	पटवारी द्वारा सत्यापन पूर्ण हो चुका है। अब भूमिस्वामियों एवं गवाहों द्वारा e-हस्ताक्षर किया जाना शेष है।
पंजीयन हेतु अग्रेषित	सभी आवश्यक e-हस्ताक्षर पूर्ण हो चुके हैं तथा आवेदन पंजीयन हेतु अग्रेषित कर दिया गया है। पंजीयन की प्रक्रिया लंबित है।
पंजीयन पूर्ण	आवेदन का पंजीयन सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है तथा पंजीकृत डीड उपलब्ध है।

(SAARA)

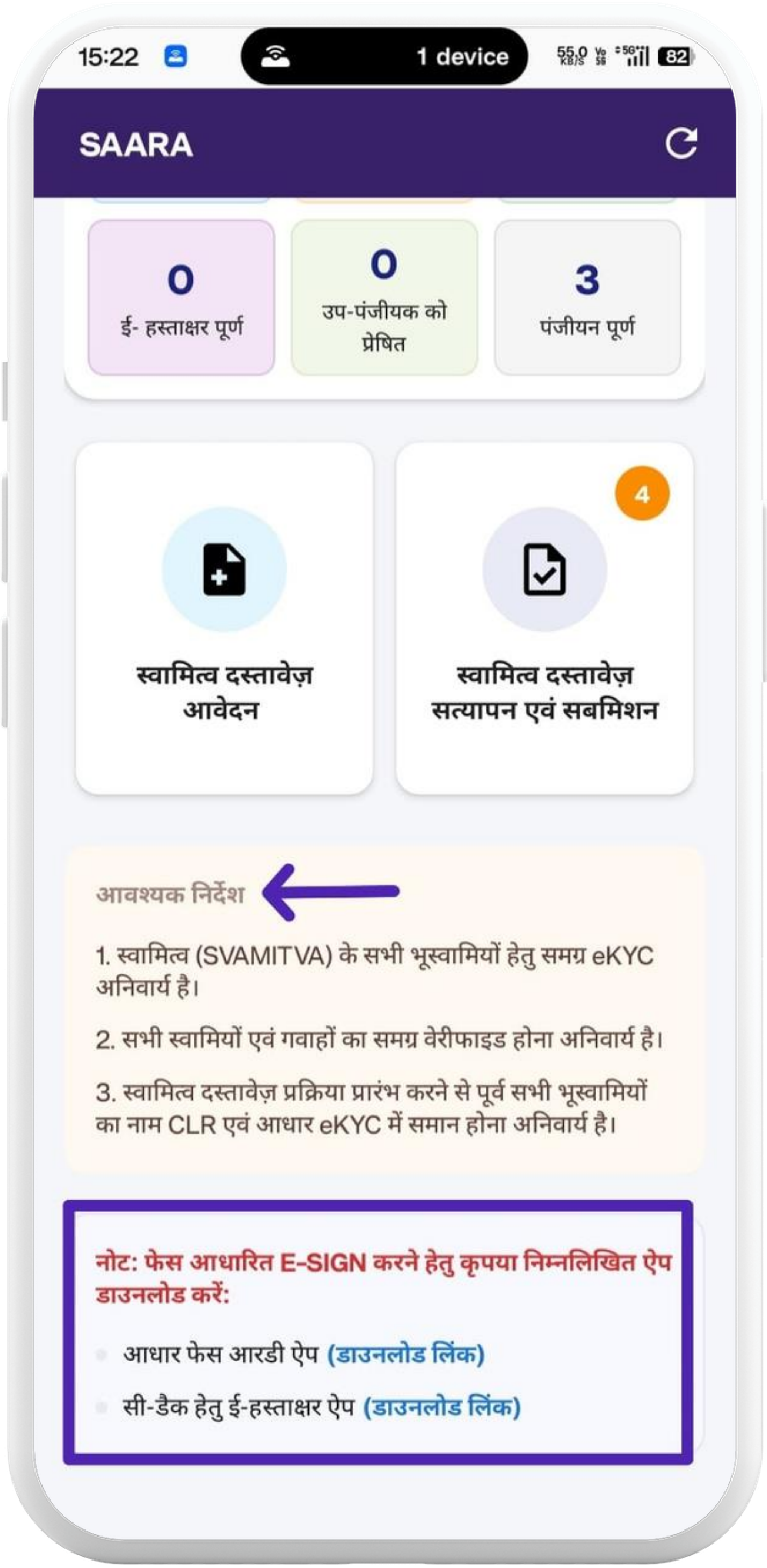

चरण 1: स्वामित्व दस्तावेज़ सर्विस

- SAARA ऐप में लॉगिन करें। होम स्क्रीन पर उपलब्ध "स्वामित्व दस्तावेज़ आवेदन" विकल्प का चयन करें।
- आवश्यक निर्देश पढ़ें।
- फेस आधारित ई-हस्ताक्षर हेतु आवश्यक एप्लिकेशन डाउनलोड करें।

चरण 2: स्वामित्व दस्तावेज़ आवेदन स्थिति

- संबंधित विभिन्न चरणों की स्थिति में आवेदनों की संख्या प्रदर्शित होती है।

क्र.	स्थिति	विवरण
1	**सत्यापन लंबित**	सत्यापन के लिए लंबित आवेदन।
2	**भुगतान लंबित**	भुगतान के लिए लंबित आवेदन।
3	**ई-हस्ताक्षर अपूर्ण**	ई-हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है।
4	**ई-हस्ताक्षर पूर्ण**	ई-हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
5	**उप-पंजीयक को प्रेषित**	उप-पंजीयक को भेजे गए आवेदन।
6	**पंजीयन पूर्ण**	पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुके आवेदन।

स्वामित्व दस्तावेज़ आवेदन

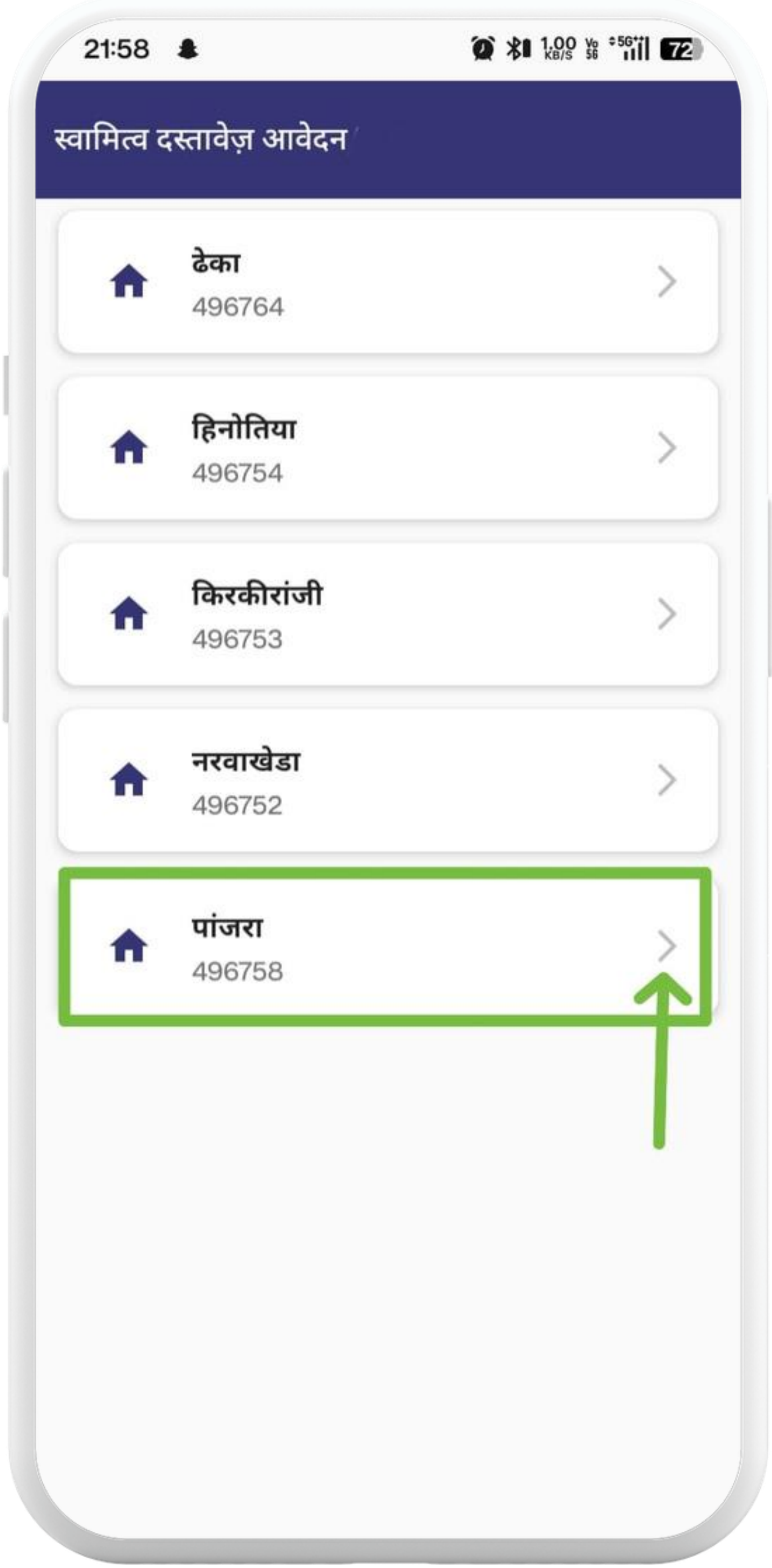

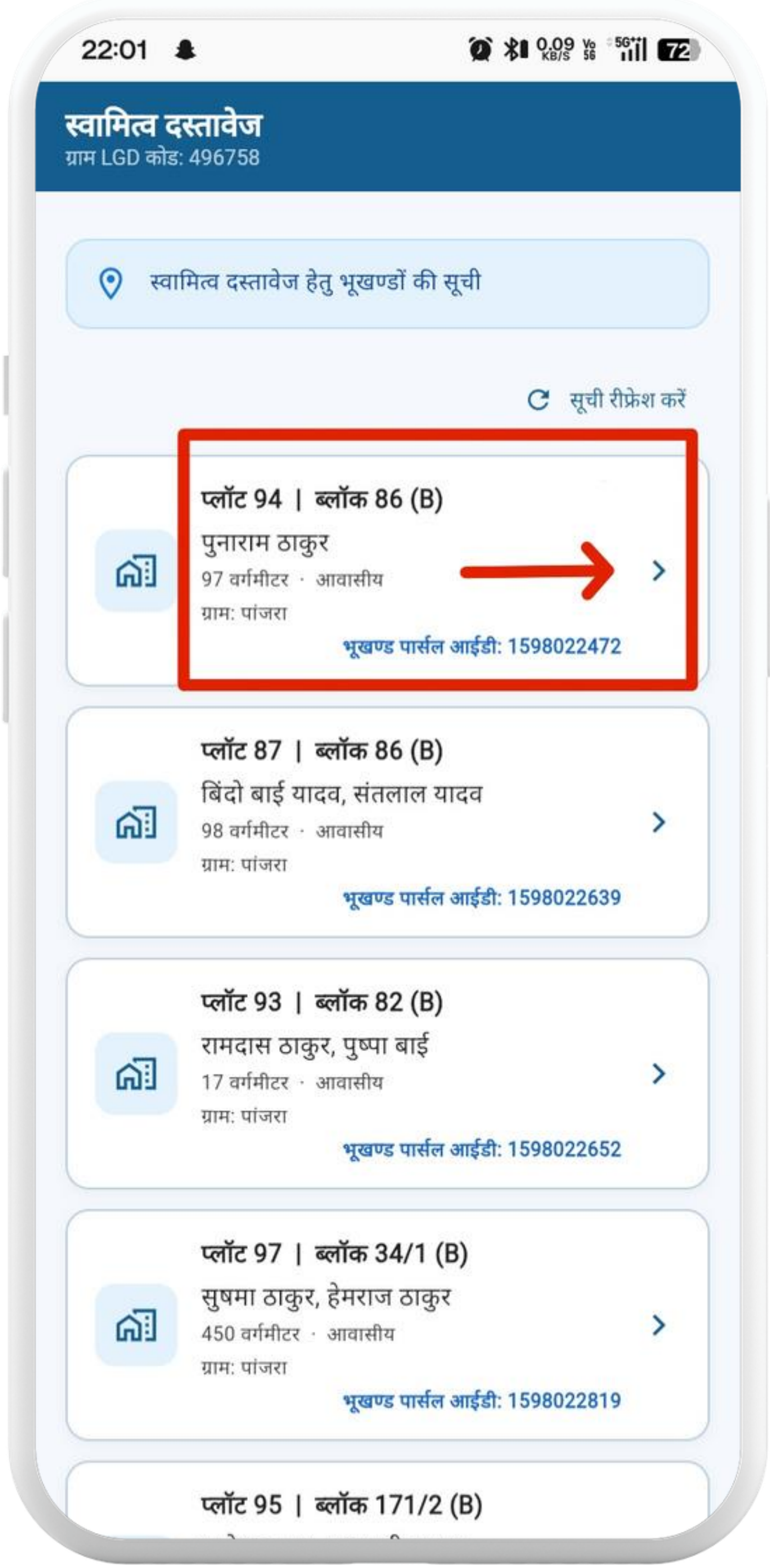

चरण 1: ग्राम एवं भूखंडों की सूची

- "स्वामित्व दस्तावेज़ आवेदन" विकल्प का चयन कर आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करें। संबंधित ग्रामों की सूची प्रदर्शित होगी।
- जिस ग्राम के लिए आवेदन करना है, उसपर क्लिक करें।
- चयनित ग्राम के स्वामित्व दस्तावेज़ हेतु उपलब्ध भूखंडों की सूची प्रदर्शित होगी।
- जिस भूखंड के लिए स्वामित्व दस्तावेज़ हेतु आवेदन करना है, उस भूखंड का चयन करें।

स्वामित्व दस्तावेज़ सत्यापन प्रारंभ करें

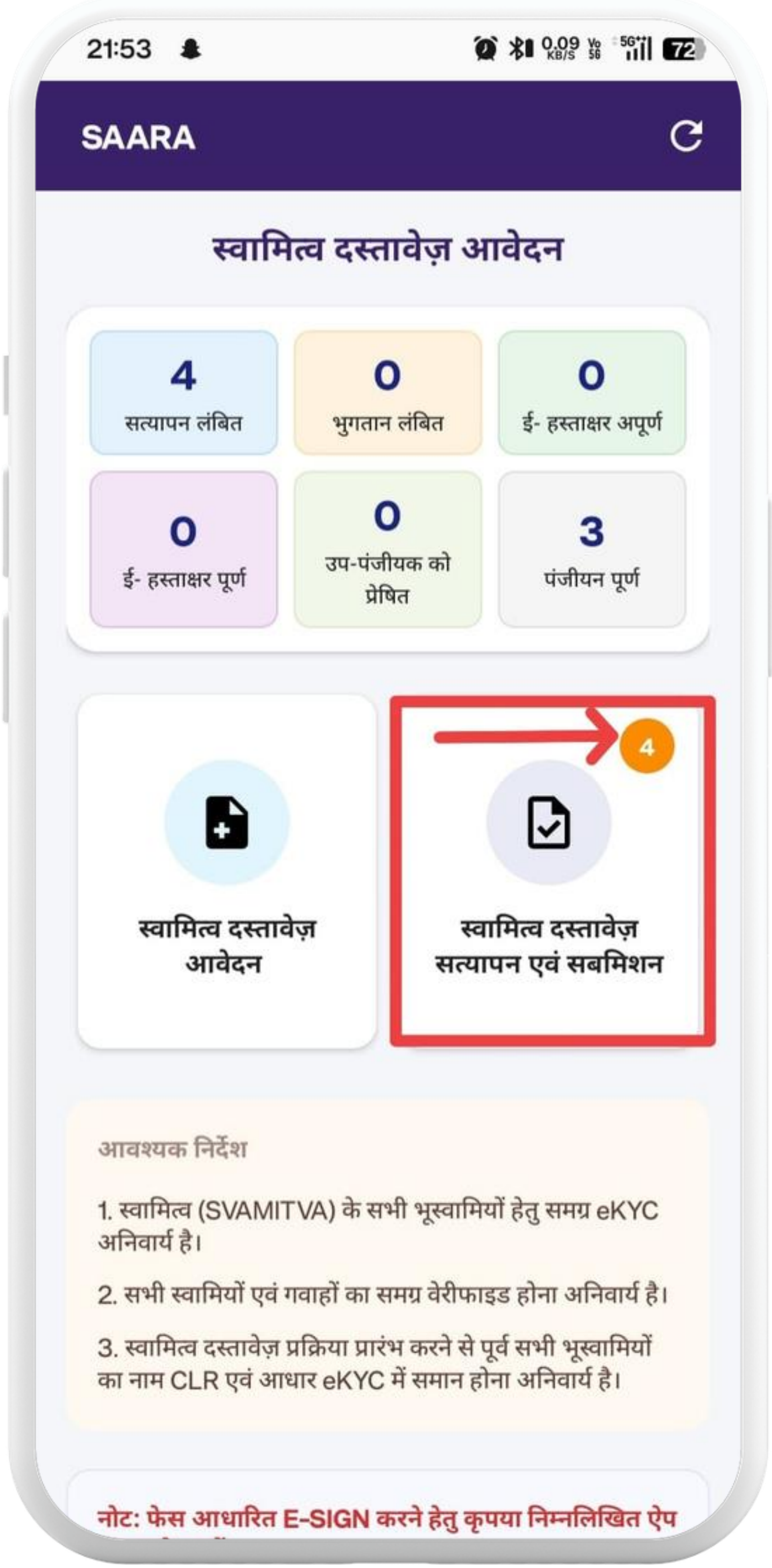

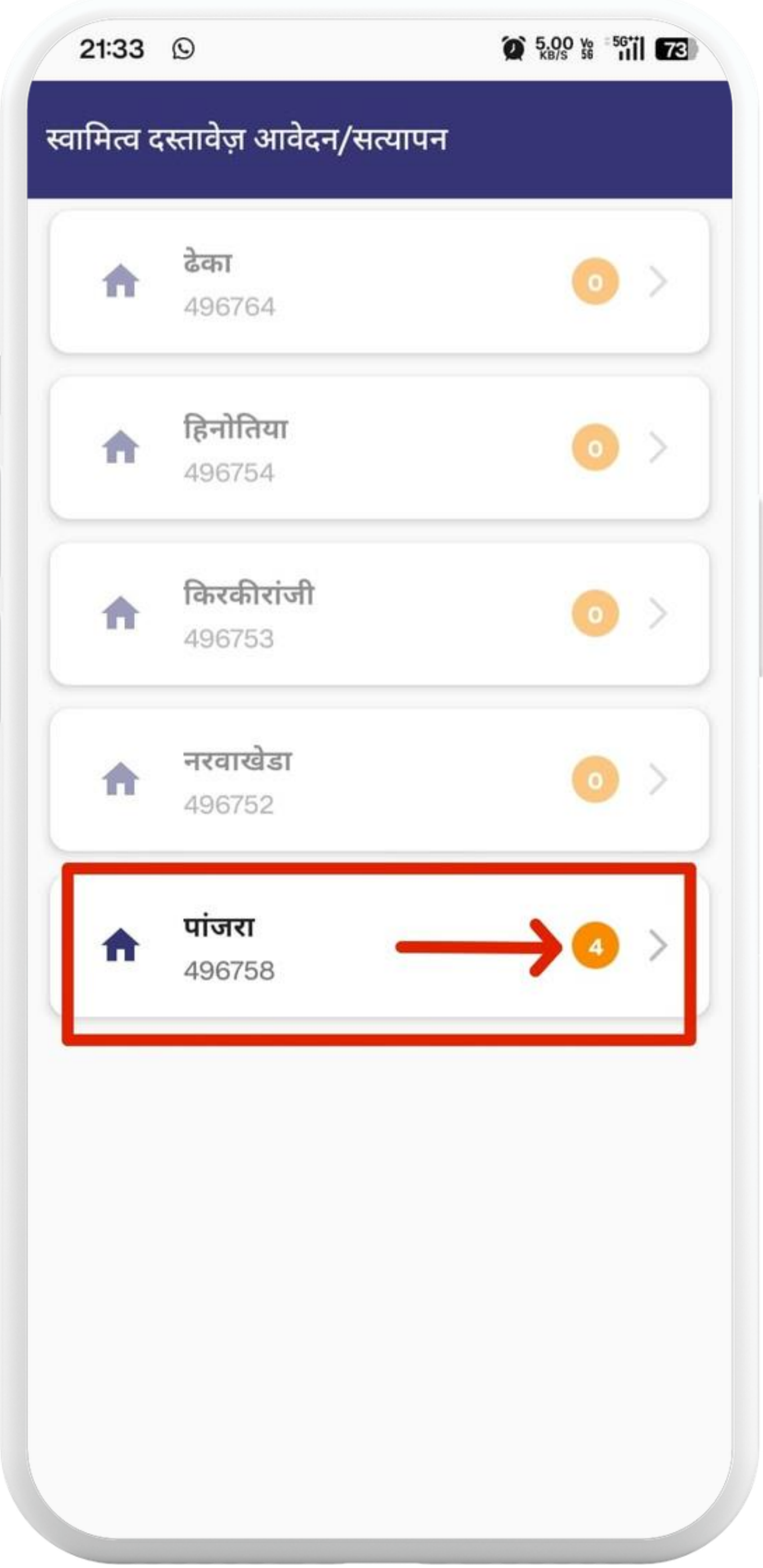

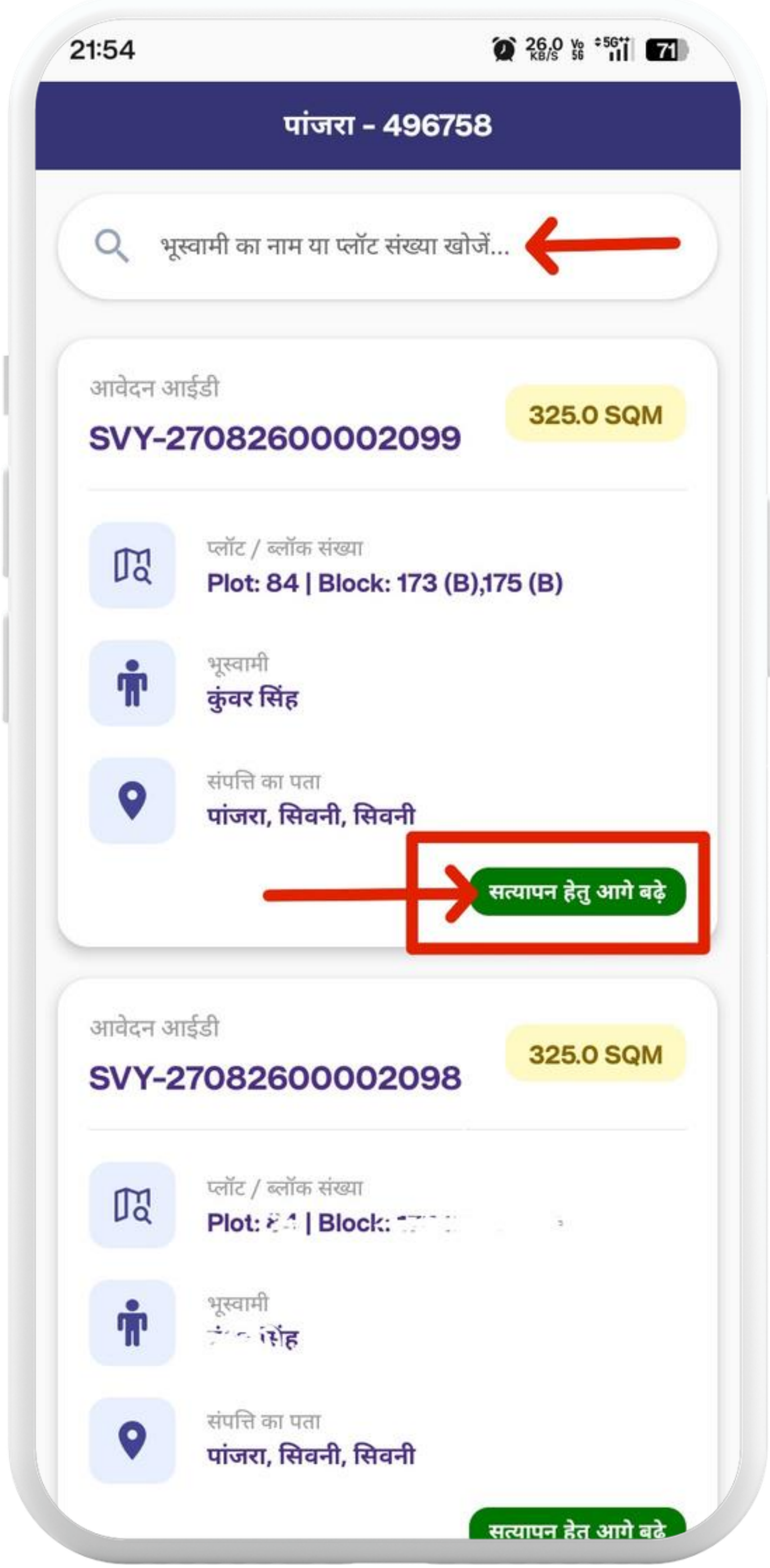

चरण 1: स्वामित्व दस्तावेज़ सत्यापन

- स्वामित्व दस्तावेज़ आवेदन स्क्रीन पर "स्वामित्व दस्तावेज़ सत्यापन एवं सब्मिस्शन" विकल्प का चयन करें।
- चयनित ग्राम के लंबित आवेदनों की सूची देखें।
- आवेदन आईडी एवं अन्य विवरण की पुष्टि करें। "सत्यापन हेतु आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक कर सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ करें।

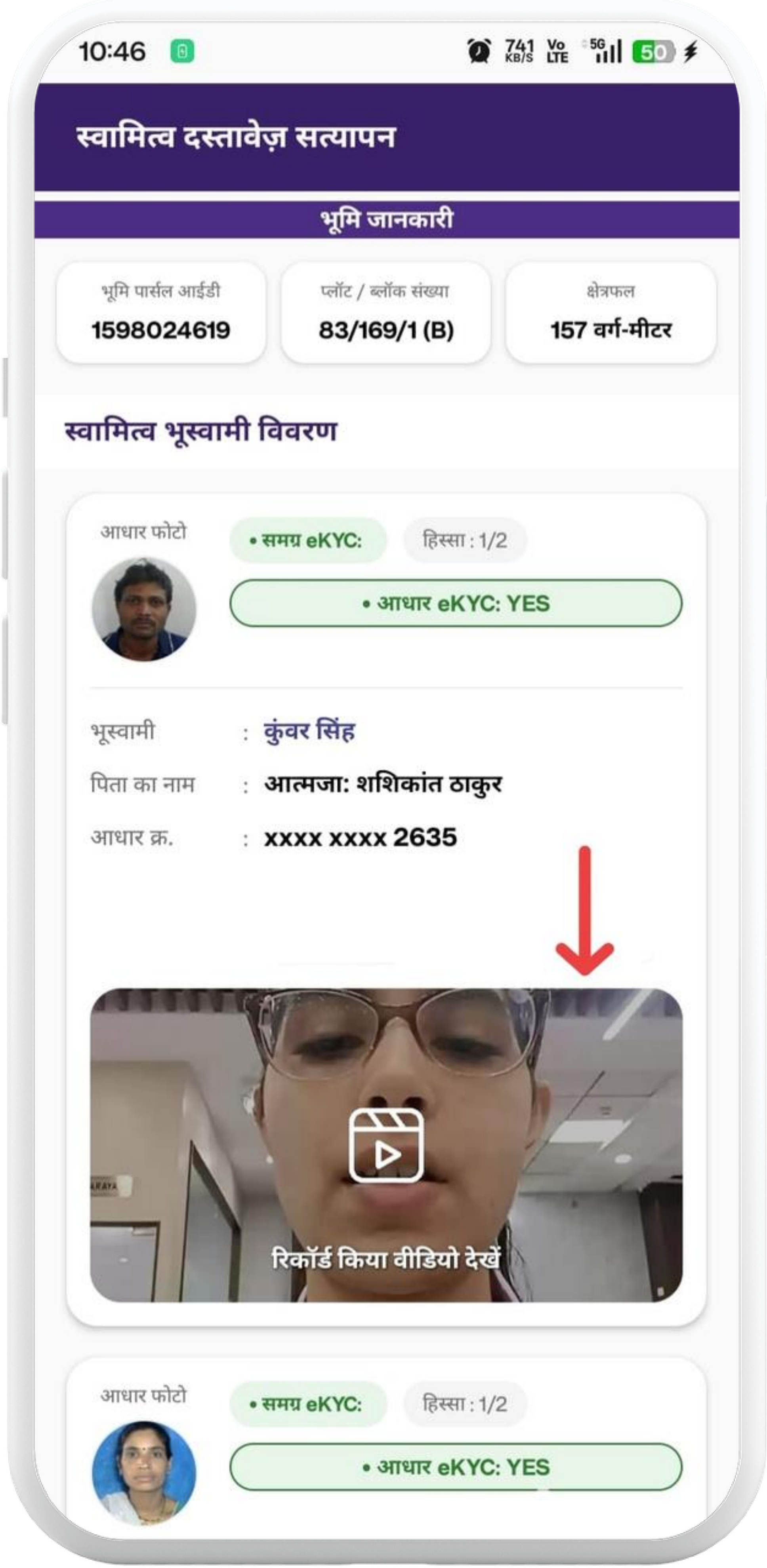

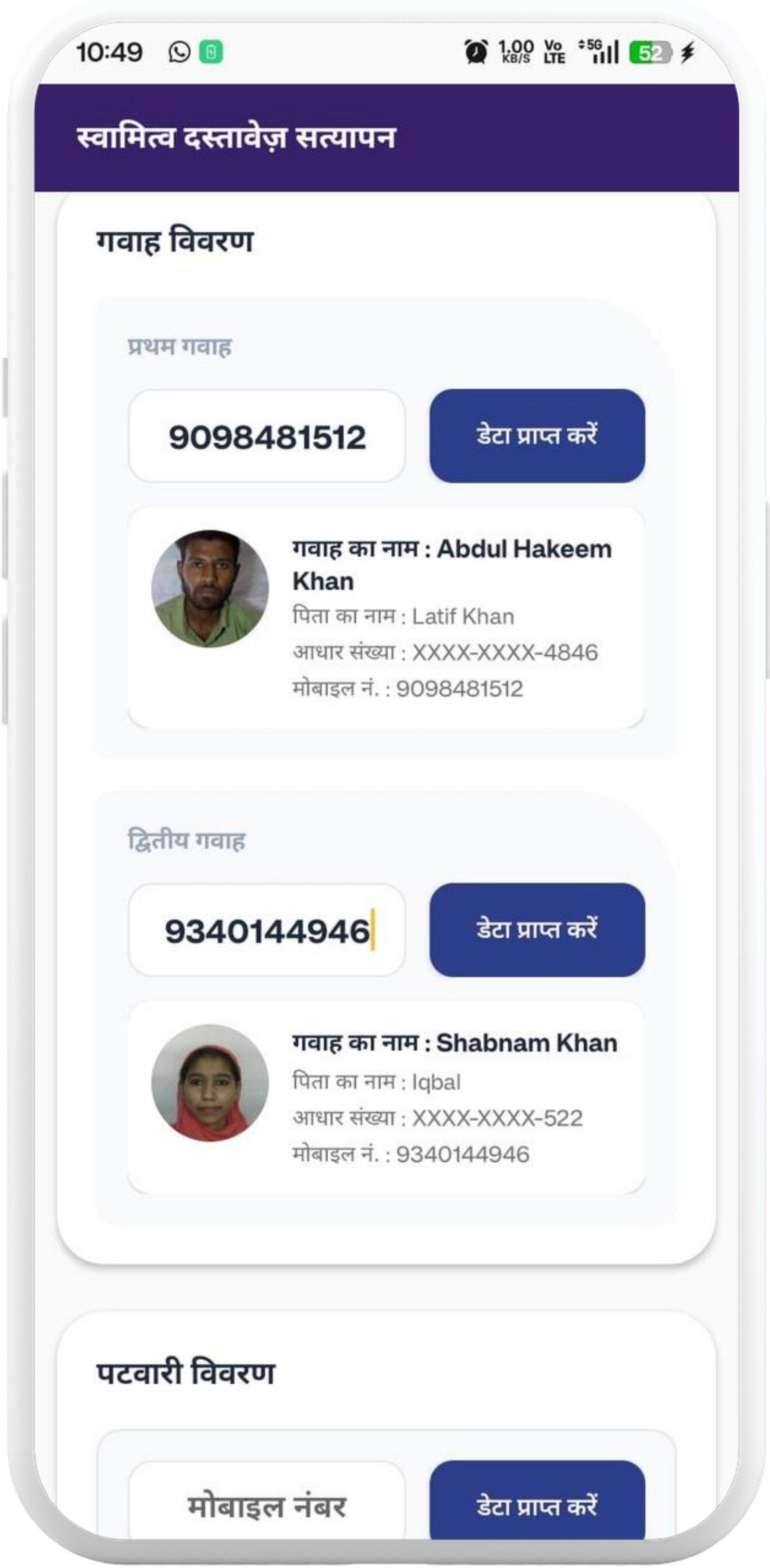

चरण 2: भूस्वामी का सत्यापन

- प्रदर्शित भूस्वामी की जानकारी का अवलोकन करें। "वीडियो देखें" बटन पर क्लिक कर वीडियो रिकॉर्डिंग देखें।
- गवाह विवरण अनुभाग में प्रदर्शित प्रत्येक गवाह की जानकारी का अवलोकन करें। यदि आवेदन प्रारंभ करते समय गवाह जोड़े गए हैं, तो उनकी जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

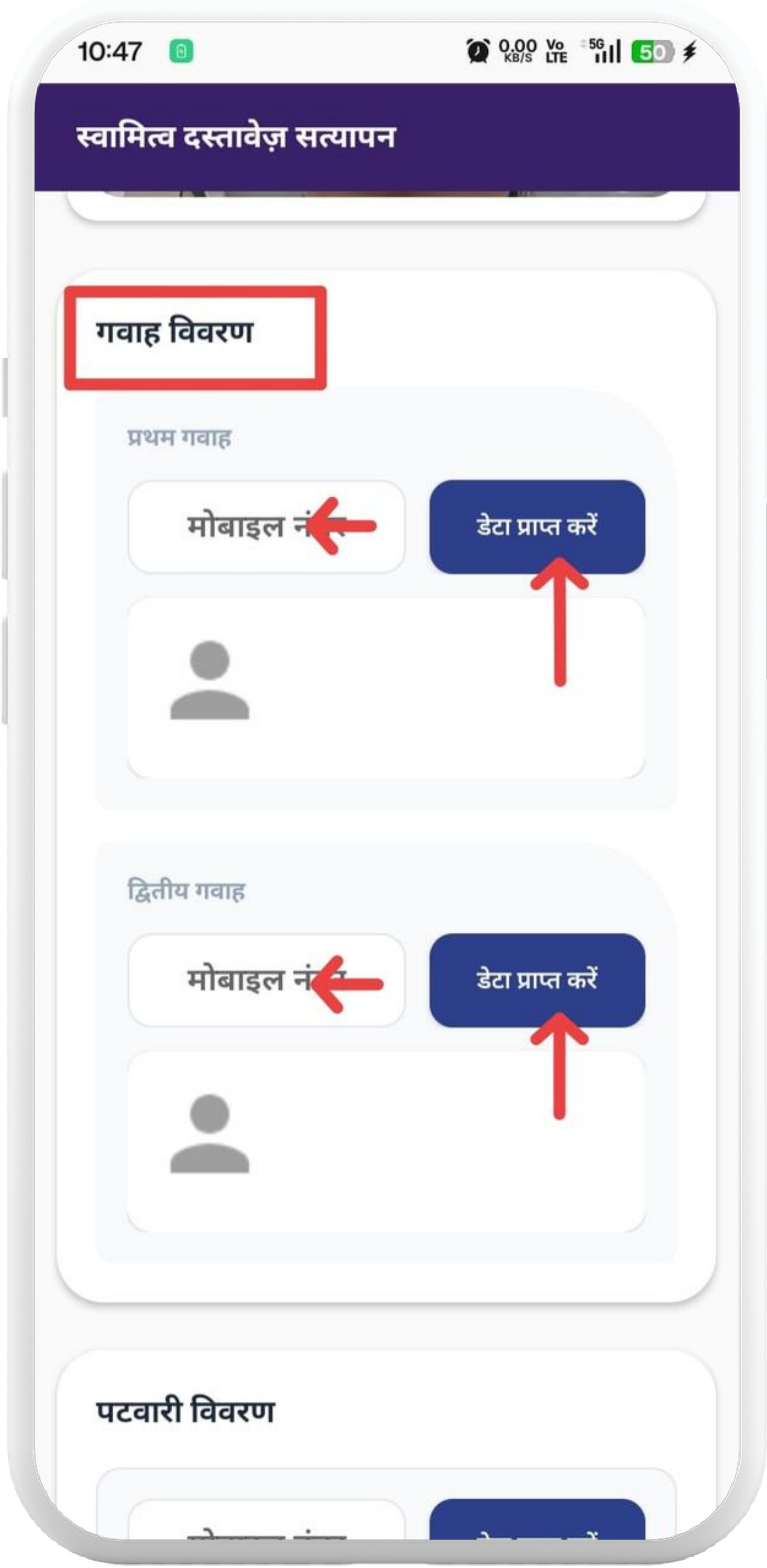

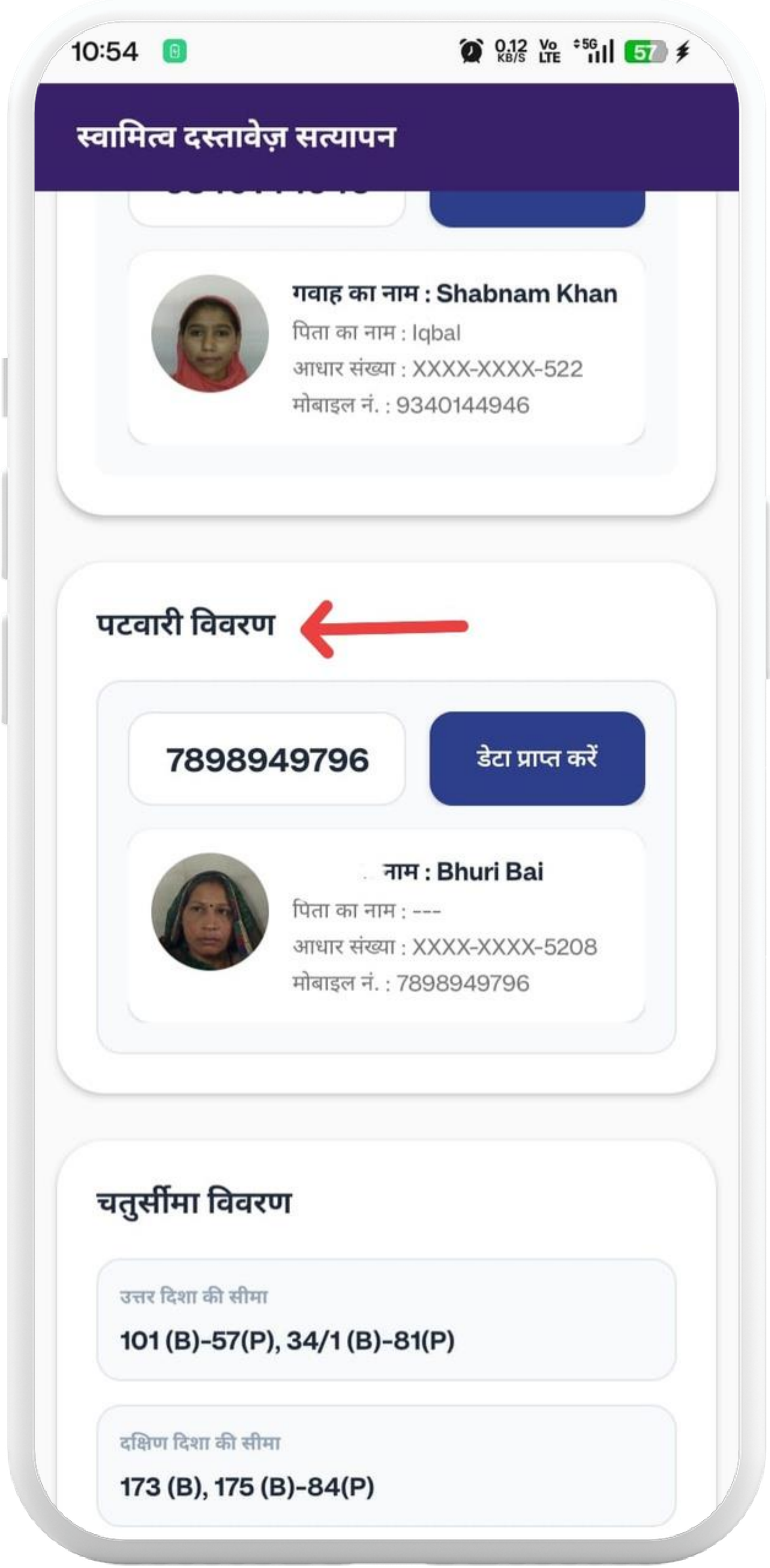

चरण 3: गवाह जोड़े

- यदि गवाह आवेदन के समय नहीं जोड़े गए होंगे, तो गवाह के समग्र से लिंक 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें। "OTP प्राप्त करें" बटन पर क्लिक करें। OTP दर्ज कर सत्यापित करें। जोड़े गए गवाहों की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
- पटवारी स्वयं अपना विवरण समग्र से लिंक्ड मोबाईल नंबर से प्राप्त करें ।

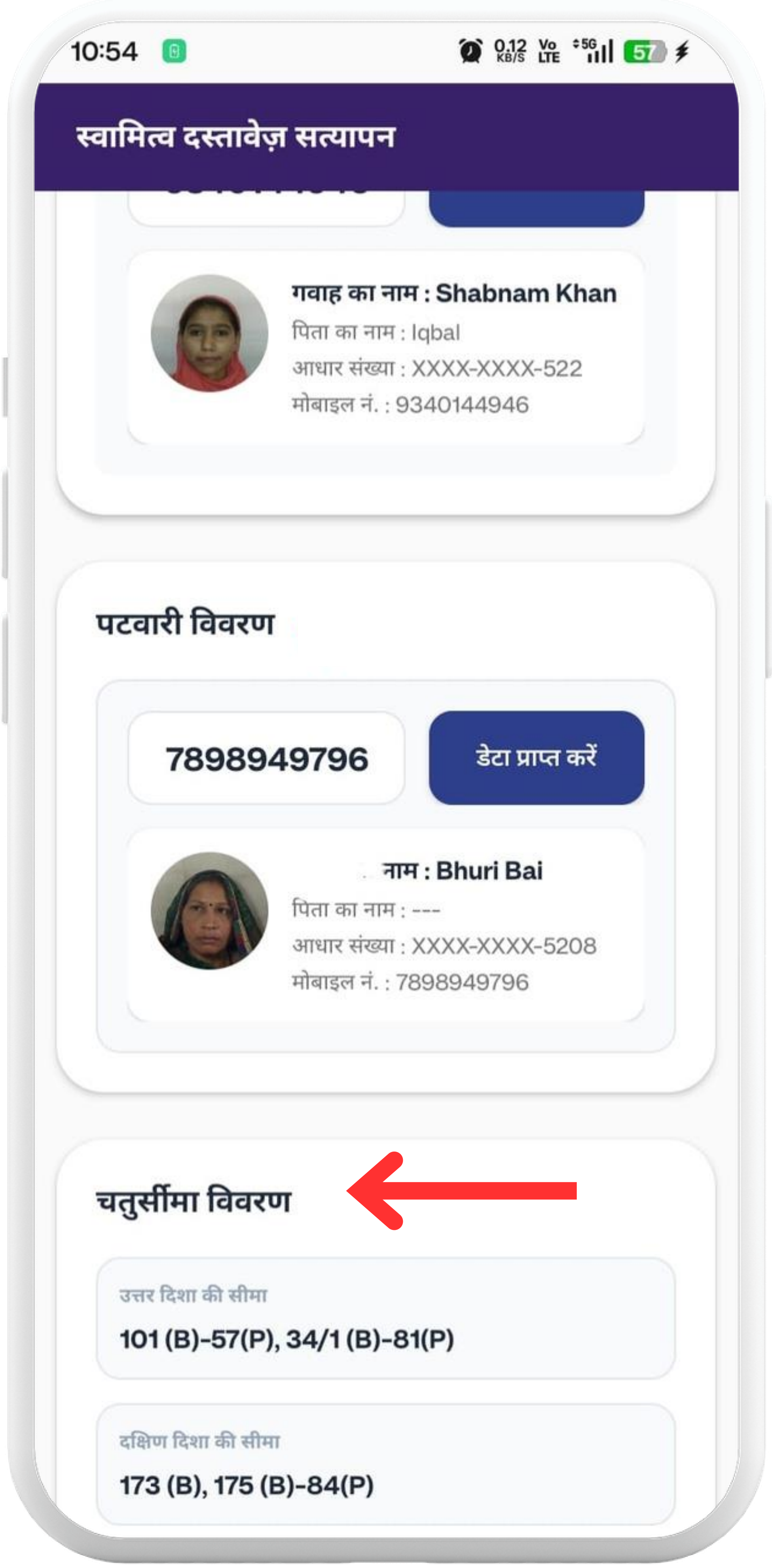

चरण 4: सत्यापन पूर्ण करें

- "चतुर्सीमा विवरण" तथा "भूखंड पर लागू उपबंध" अनुभाग में प्रदर्शित जानकारी का अवलोकन करें।
- सभी जानकारी की पुष्टि करने के बाद "सेव कर आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करें।

महत्वपूर्ण निर्देश

- यदि भूस्वामी का वीडियो सही पाया जाता है: "सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ।"
- यदि भूस्वामी का वीडियो सत्यापन मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है: "भूस्वामी <<नाम>> का वीडियो सत्यापन मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है। कृपया वीडियो पुनः रिकॉर्ड कर अपलोड करें।"

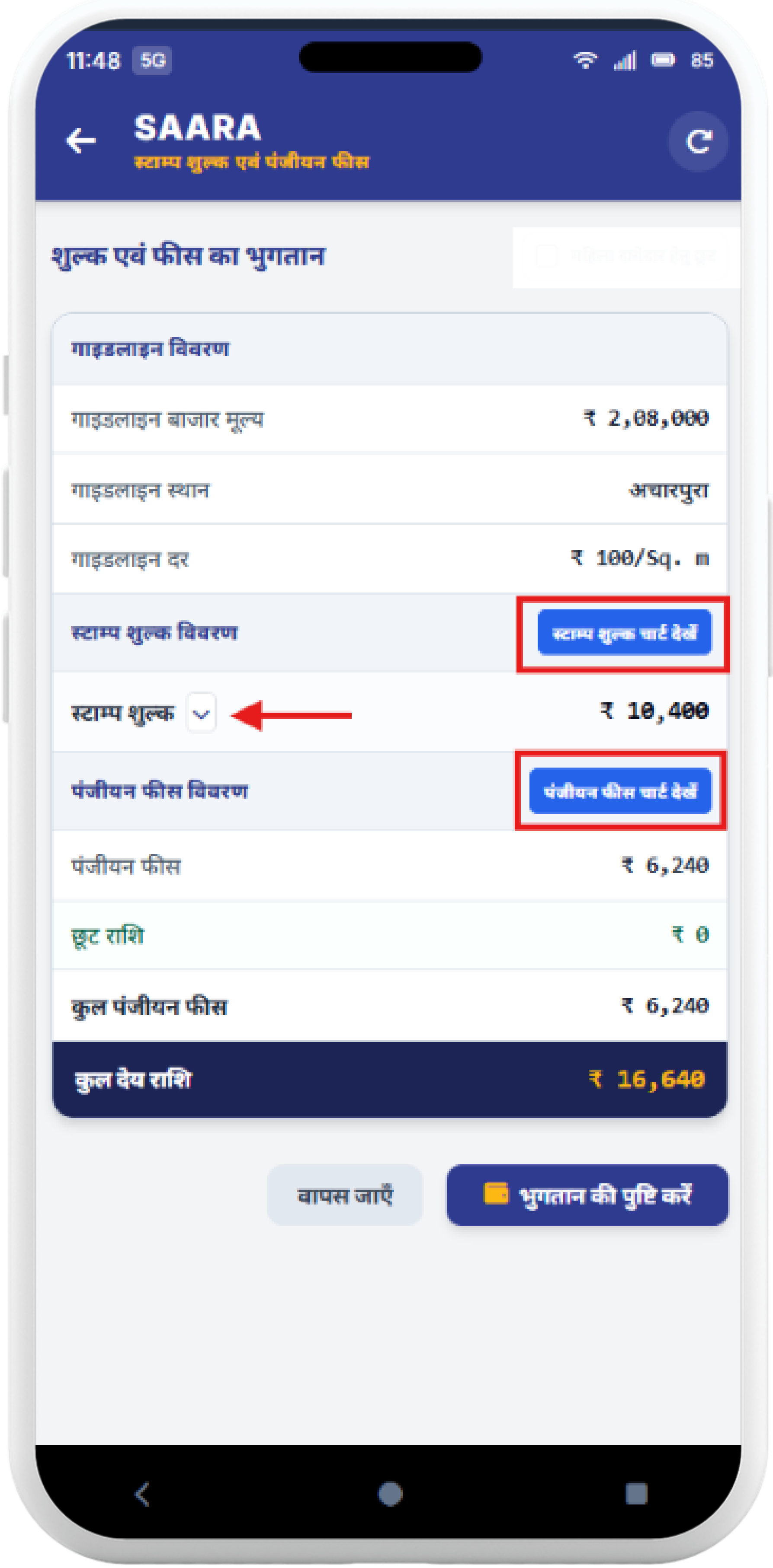

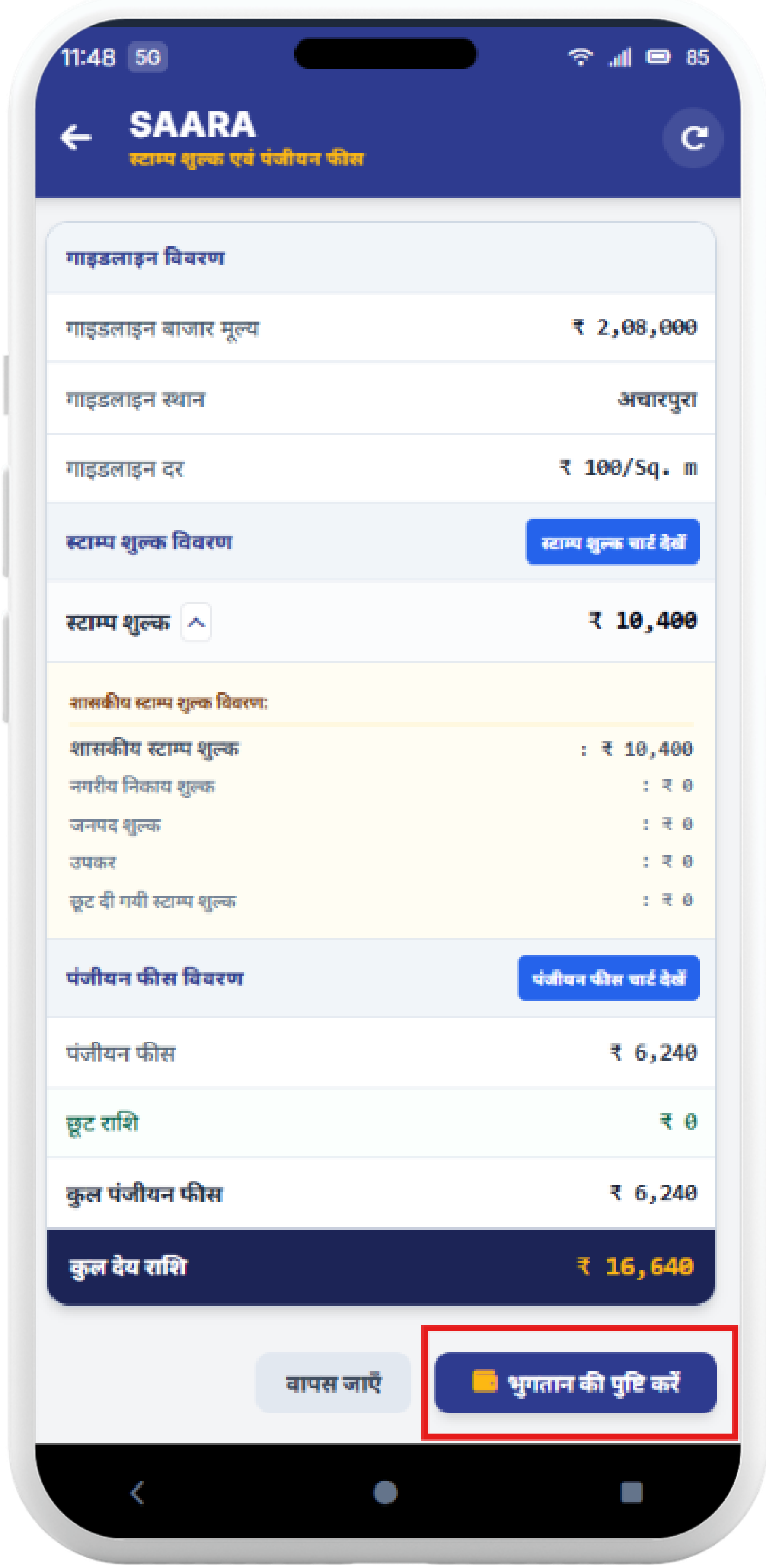

चरण 5: शुल्क एवं फीस का भुगतान

- प्रदर्शित गाइडलाइन विवरण, स्टाम्प शुल्क का विस्तृत विवरण एवं पंजीयन फीस विवरण का अवलोकन करें। आवश्यकतानुसार स्टाम्प शुल्क चार्ट एवं पंजीयन फीस चार्ट देखें।
- सभी शुल्क एवं फीस की पुष्टि होने के बाद "भुगतान की पुष्टि करें" बटन पर क्लिक करें।

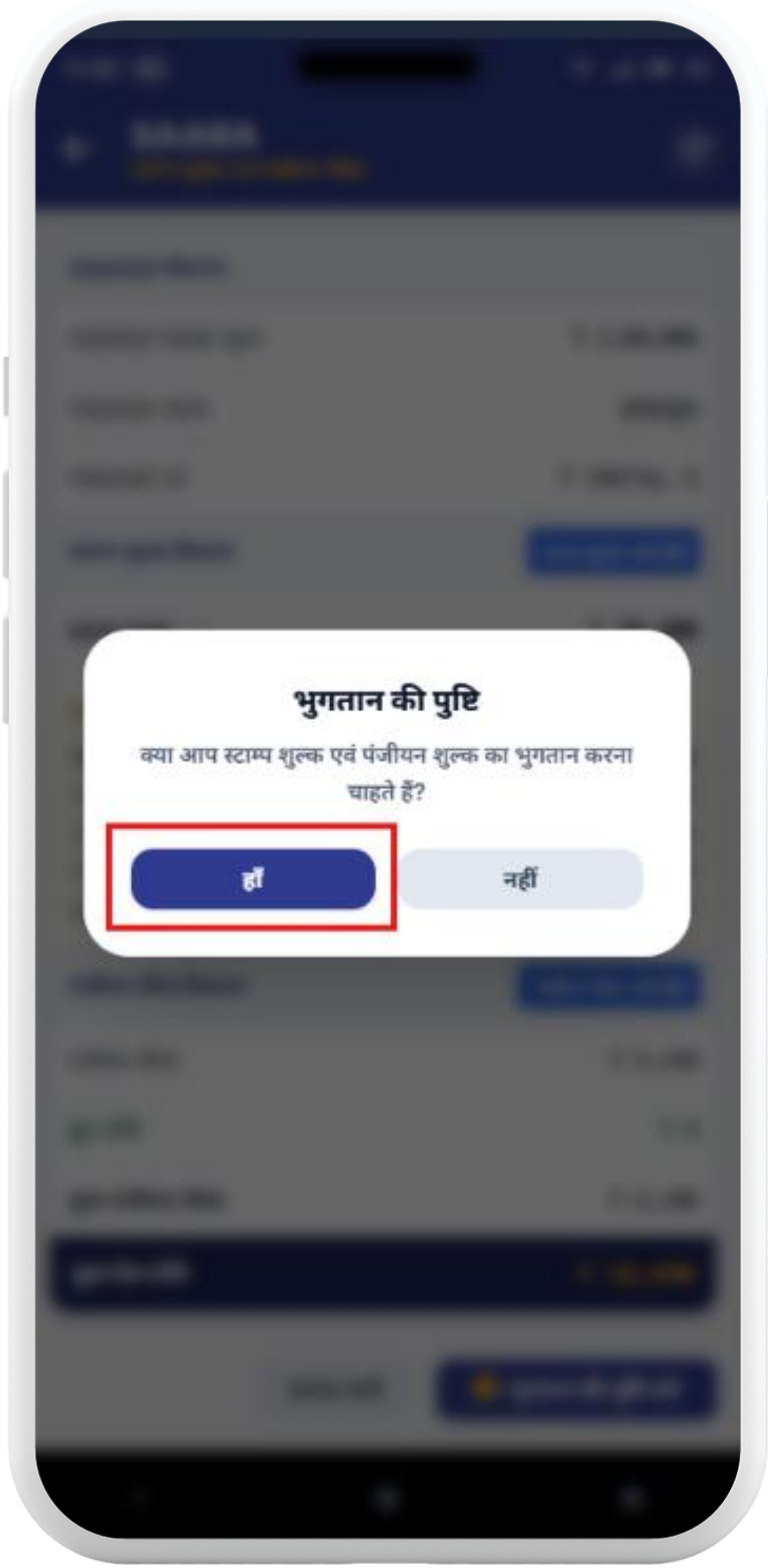

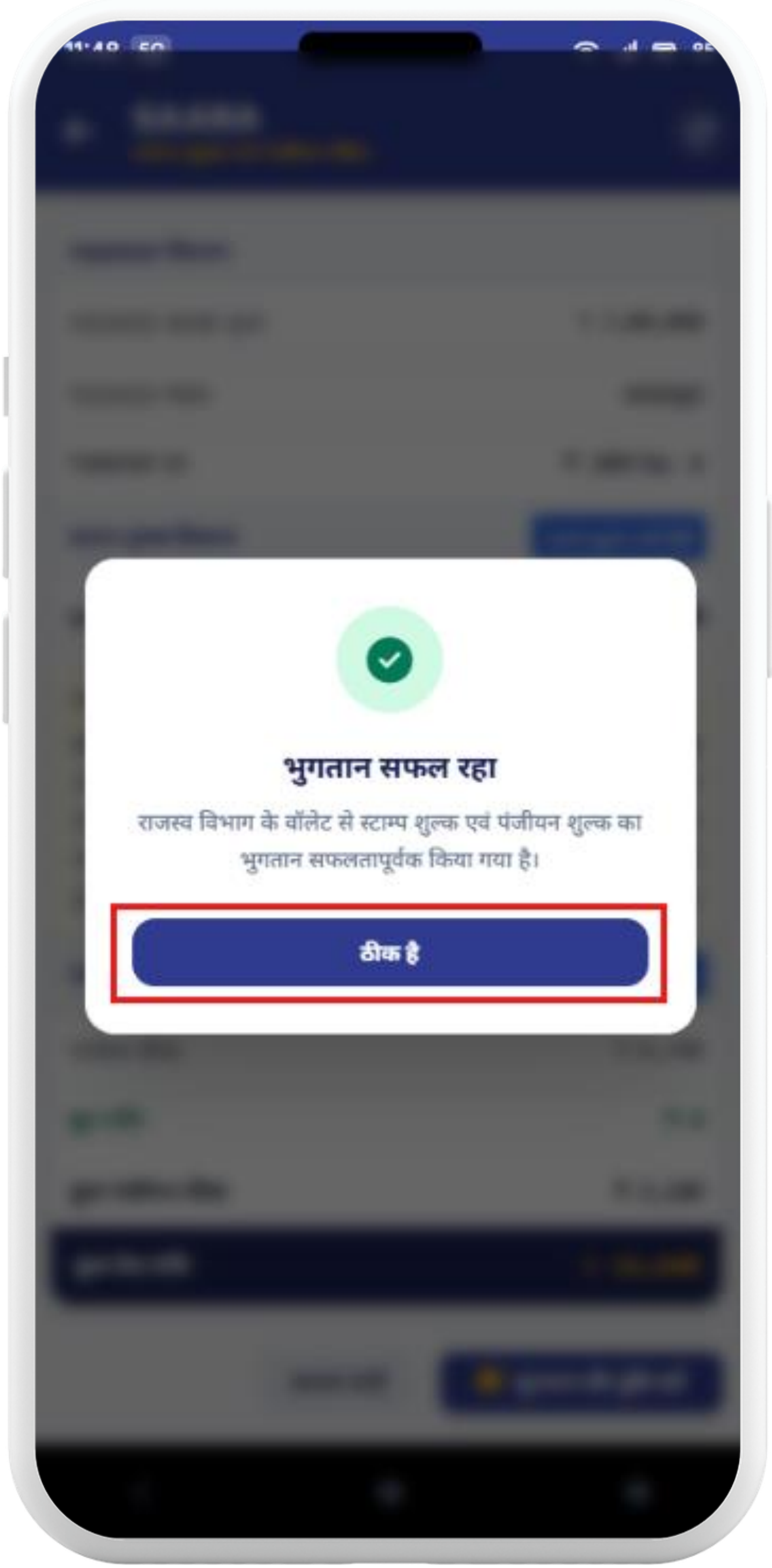

चरण 5: शुल्क एवं फीस का भुगतान

- भुगतान सफल होने पर "भुगतान सफल रहा" संदेश प्रदर्शित होगा।
- इसके बाद आवेदन प्रस्तुत करने के लिए वीडियो एवं e-Sign की प्रक्रिया पूर्ण करें।

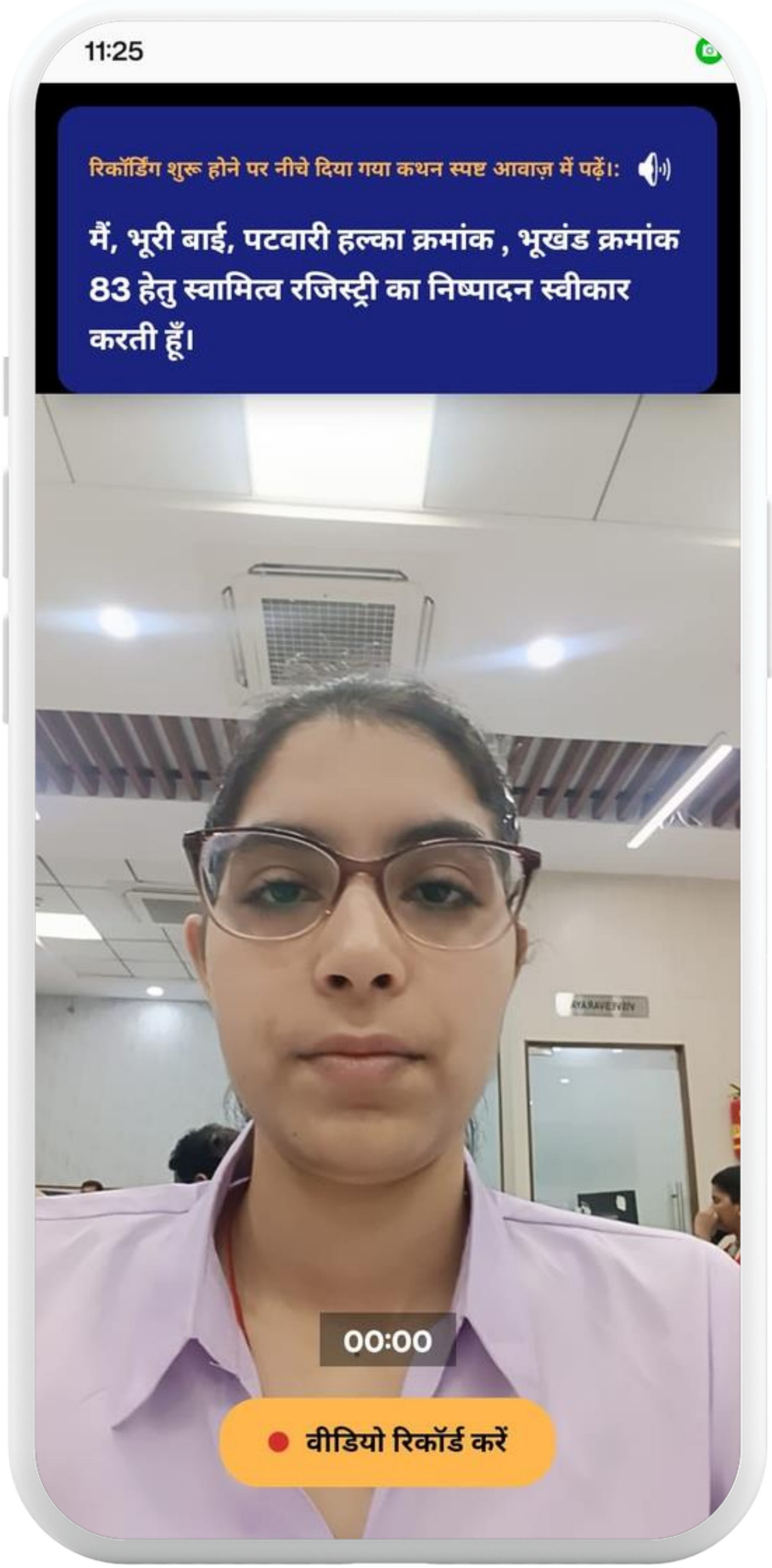

चरण 6: वीडियो रिकॉर्ड एवं e-Sign

- डीड दस्तावेज़ देखें।
- इसके बाद आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पटवारी स्वयं का वीडियो एवं e-Sign की प्रक्रिया पूर्ण करें।
- वीडियो रिकॉर्डिंग सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद "अपलोड करें " विकल्प चुनें।

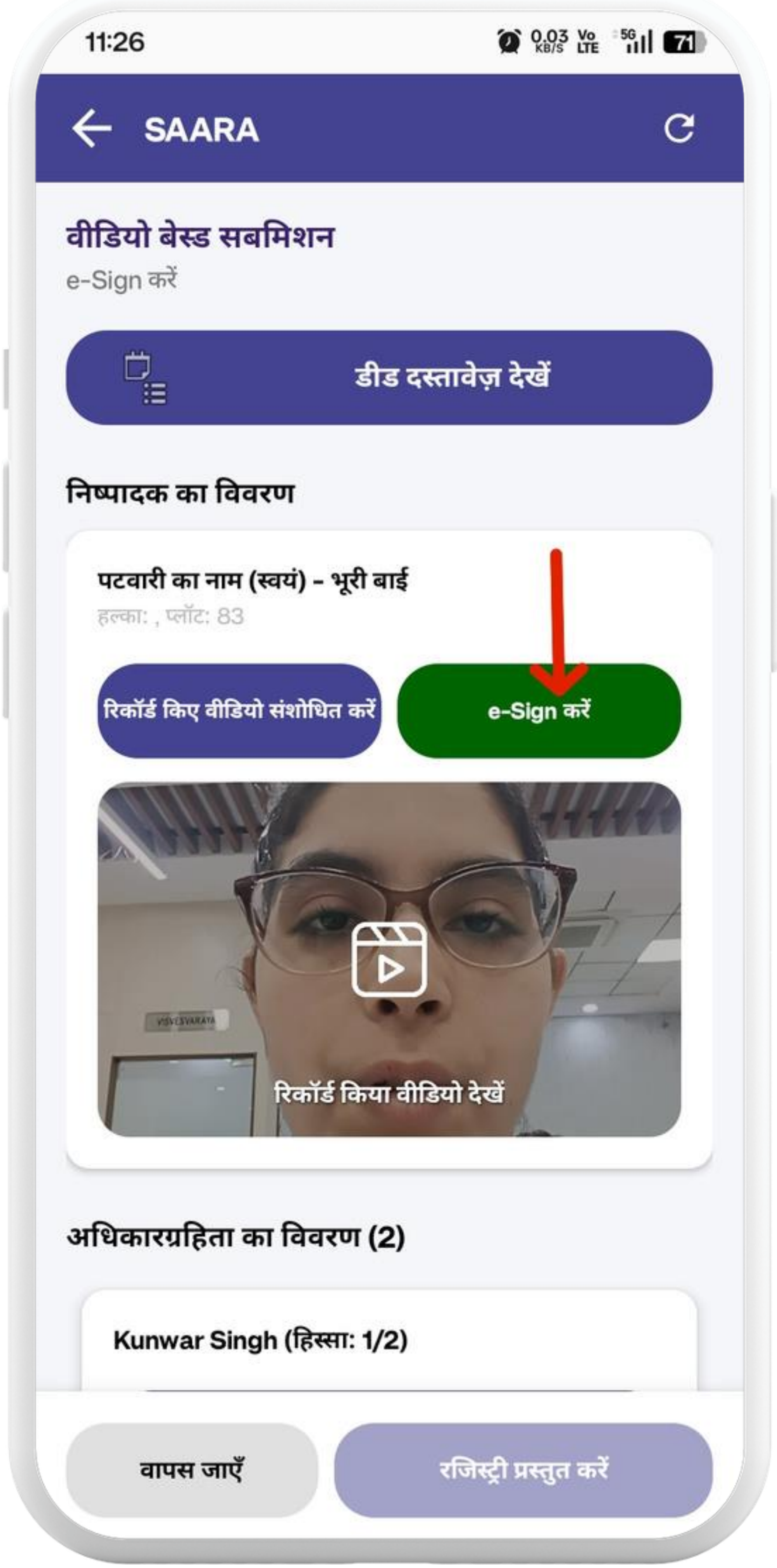

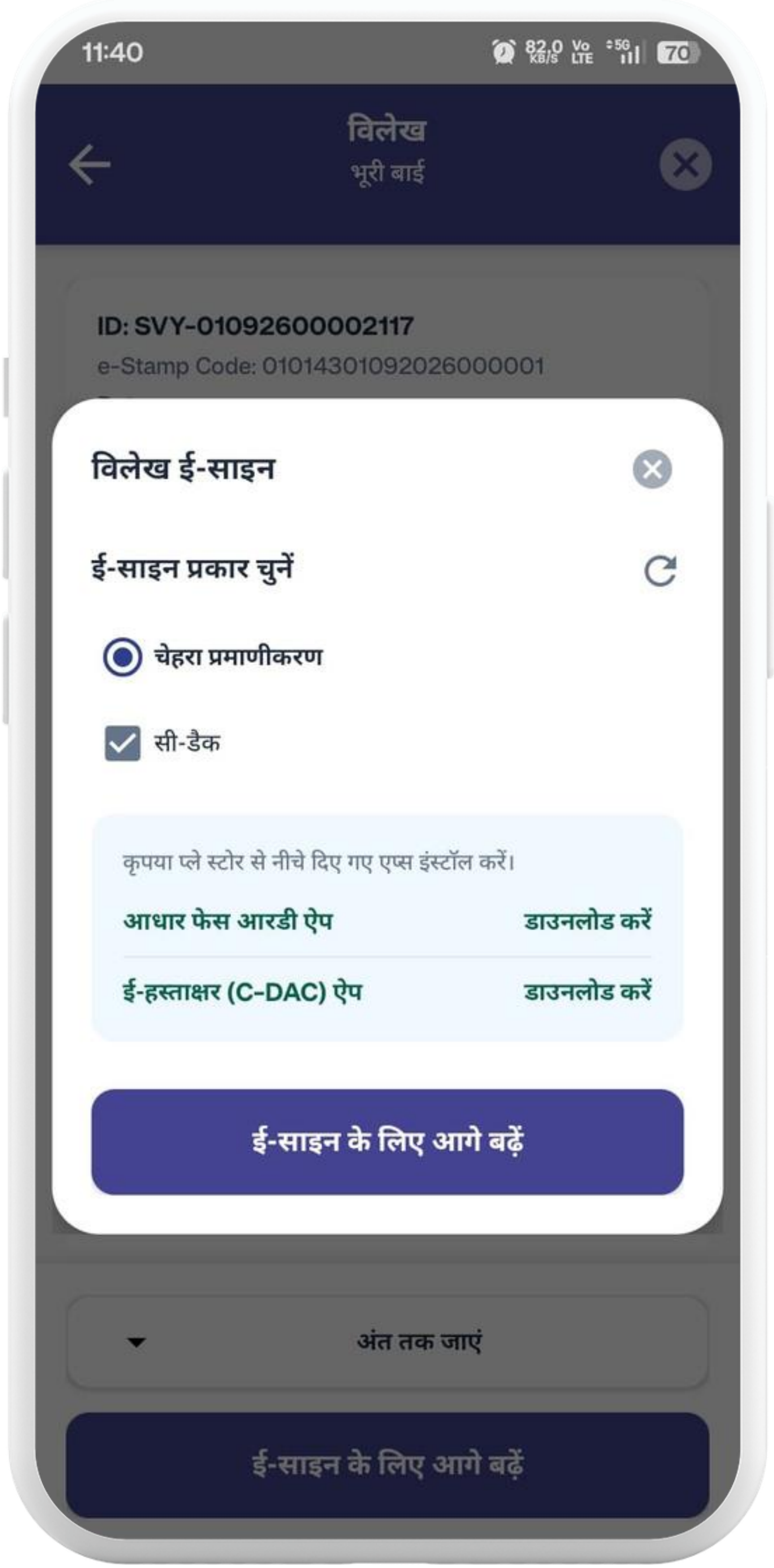

चरण 6: वीडियो रिकॉर्ड एवं e-Sign

- वीडियो रिकॉर्डिंग सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद "e-Sign करें" विकल्प सक्रिय हो जाएगा।

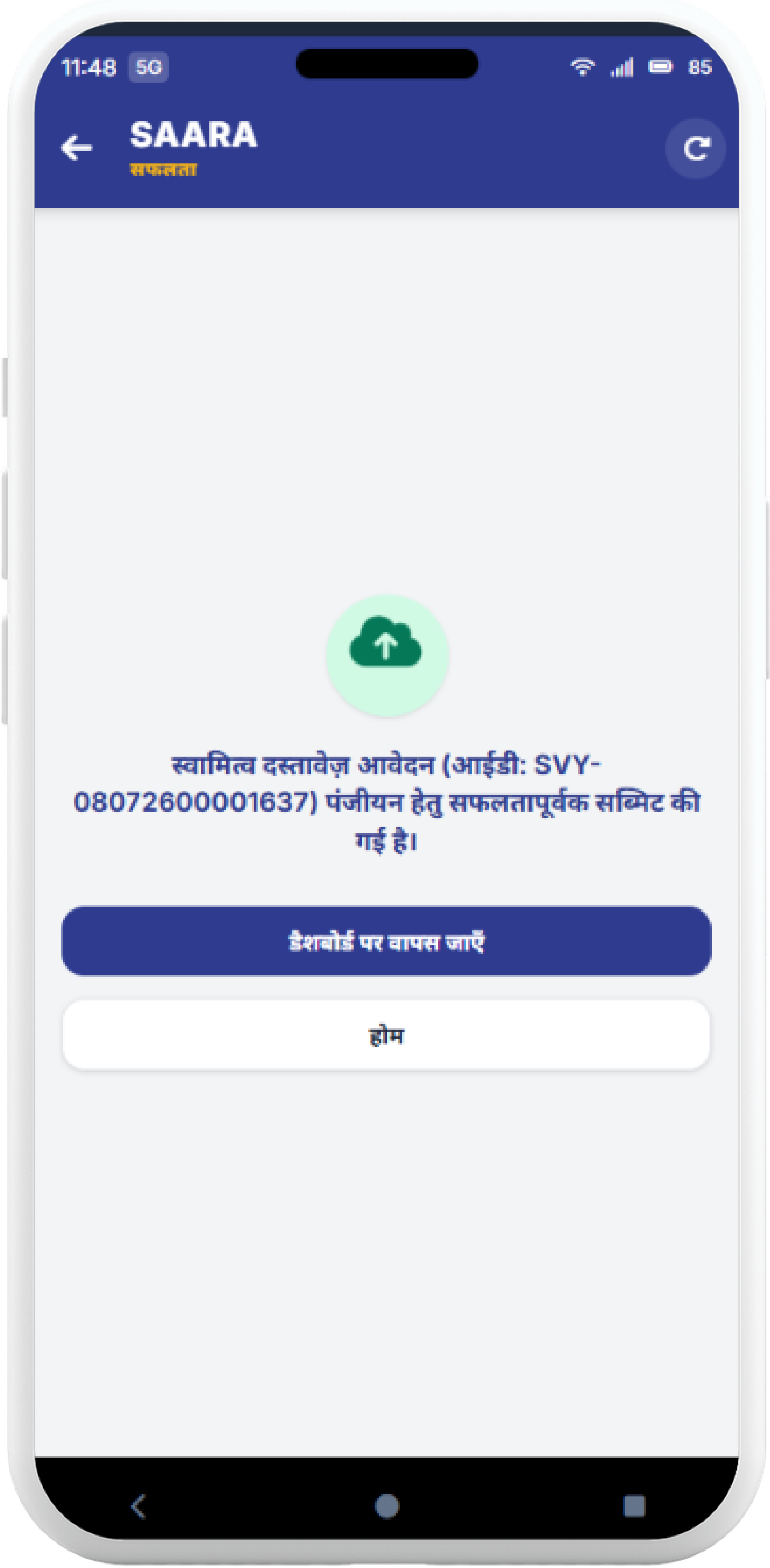

चरण 6: वीडियो रिकॉर्ड एवं e-Sign

- सभी भूमिस्वामियों, गवाहों एवं निष्पादक (पटवारी) के e-हस्ताक्षर सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात "पंजीयन हेतु सबमिट करें" बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन को पंजीयन हेतु सबमिट करने के लिए "हाँ" बटन पर क्लिक करें।
- इसके साथ ही स्वामित्व दस्तावेज़ आवेदन की पंजीयन हेतु सबमिट करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाती है।

S@MPADA 2.0

e-registry Portal —— Govt. of M.P.

चरण 1: स्वामित्व दस्तावेज़ आवेदन

- लॉगिन करने के पश्चात होम स्क्रीन पर उपलब्ध "स्वामित्व रजिस्ट्री पूर्णता" सेवा का चयन करें।
- स्वामित्व दस्तावेज़ आवेदन स्क्रीन पर "लंबित आवेदन" टैब का चयन करें। प्रदर्शित सूची में उपलब्ध ग्राम का नाम, एल.जी.डी. कोड, पटवारी एवं लंबित आवेदनों की संख्या का अवलोकन करें। संबंधित ग्राम के सामने प्रदर्शित संख्या पर क्लिक कर आवेदन सूची देखें।
- प्रदर्शित आवेदन के विवरण की देखें। सुविधानुसार आवेदन आईडी, स्वामी का नाम, ग्राम का नाम अथवा भूखंड आईडी दर्ज कर संबंधित आवेदन खोजें।
- संबंधित आवेदन पर आगे की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु "आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करें।

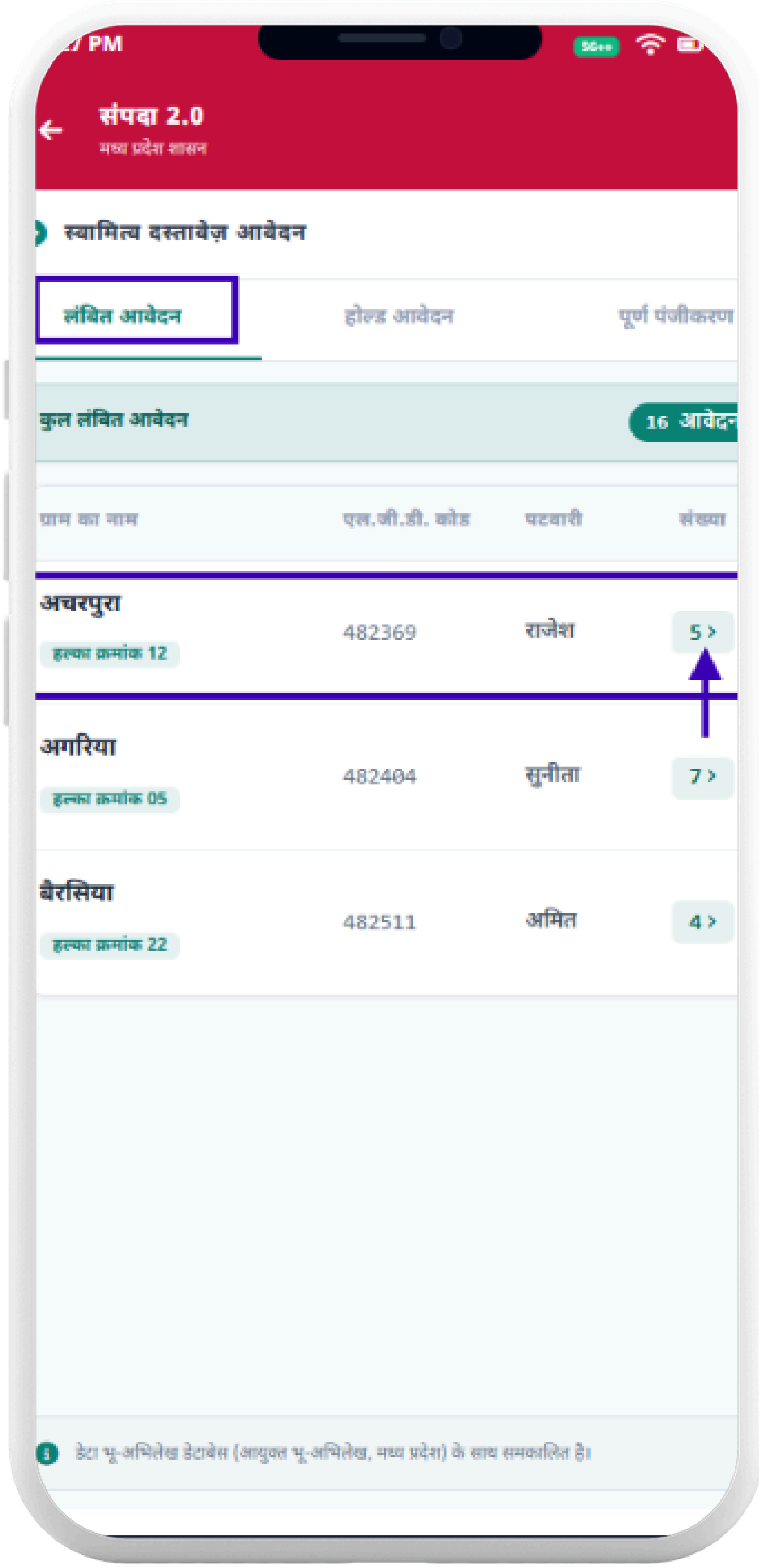

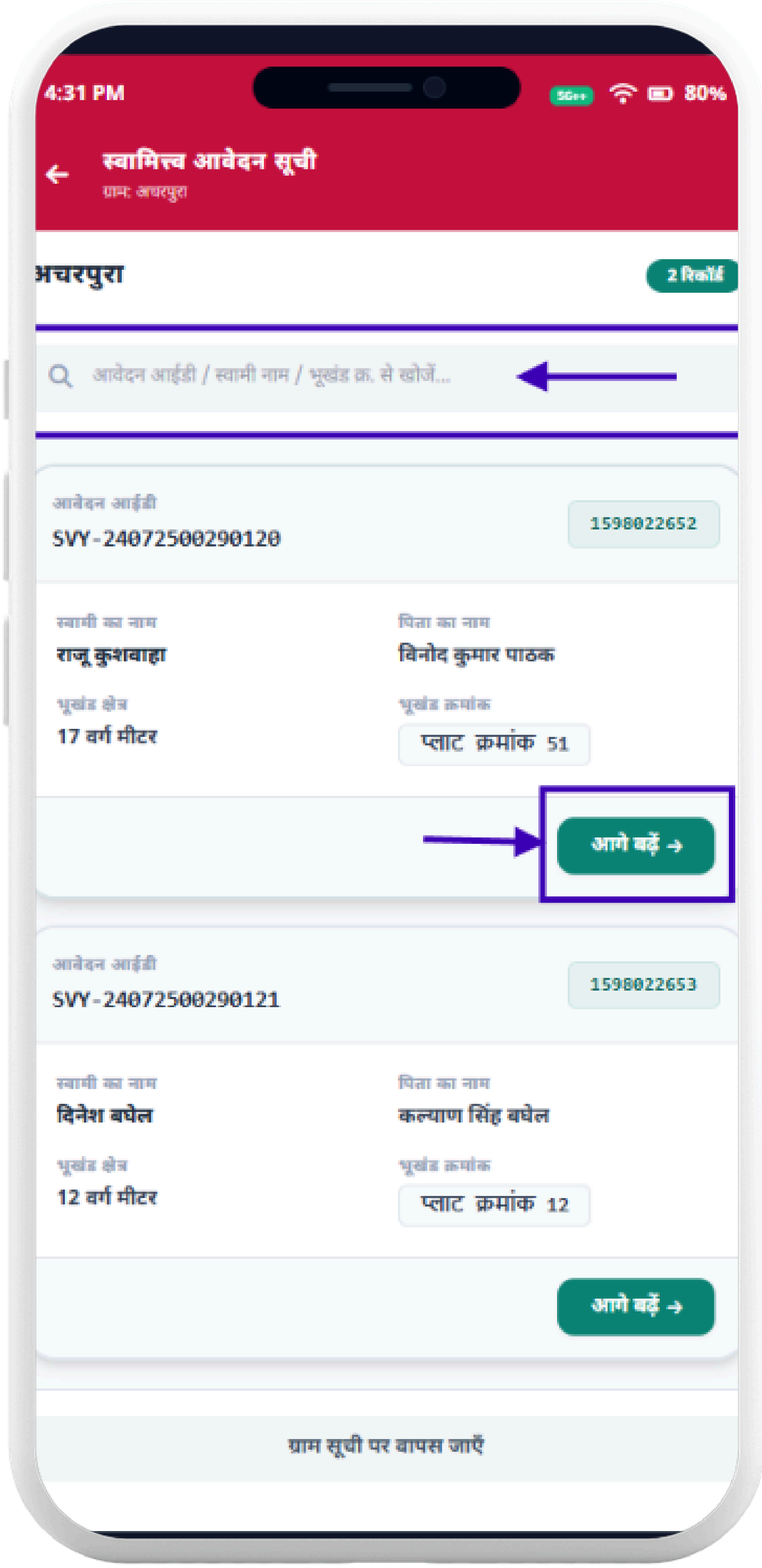

चरण 2: दस्तावेज़ का पूर्वावलोकन

- दस्तावेज़ पूर्वावलोकन स्क्रीन पर प्रदर्शित डीड दस्तावेज़ का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें।
- दस्तावेज़ का अवलोकन पूर्ण होने के पश्चात यह घोषणा करें कि प्रदर्शित दस्तावेज़ सही एवं स्वीकार्य है। घोषणा के समक्ष दिए गए चेक बॉक्स का चयन करें।
- इसके पश्चात "स्वीकार करें और आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करें तथा पक्षकार विवरण का अवलोकन करें

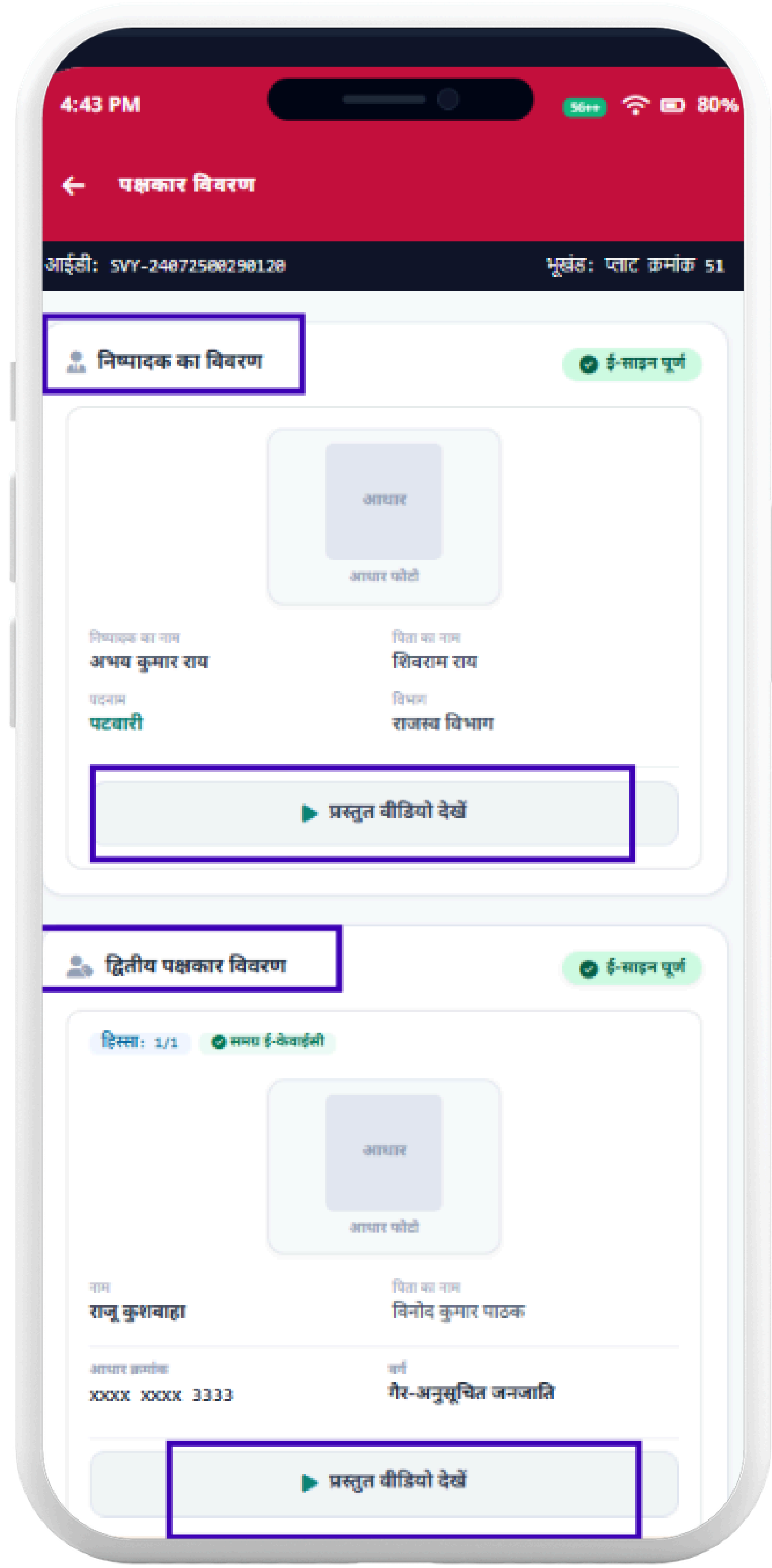

चरण 3: पक्षकार विवरण अवलोकन एवं ई-प्रमाणीकरण एवं पंजीकरण मुहर

- प्रदर्शित निष्पादक का विवरण एवं अन्य पक्षकारों के विवरण का अवलोकन करें।
- "प्रस्तुत वीडियो देखें" विकल्प पर क्लिक कर संबंधित पक्षकार की वीडियो रिकॉर्डिंग का अवलोकन करें।
- यदि आवश्यक हो, तो "सत्यापन टिप्पणियाँ" अनुभाग में अपनी टिप्पणी दर्ज करें।
- "पंजीकरण हेतु आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक कर आवेदन को पंजीकरण प्रक्रिया हेतु अग्रेषित करें।
- दस्तावेज़ का अवलोकन पूर्ण होने के बाद "e-Sign के लिए आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करें।

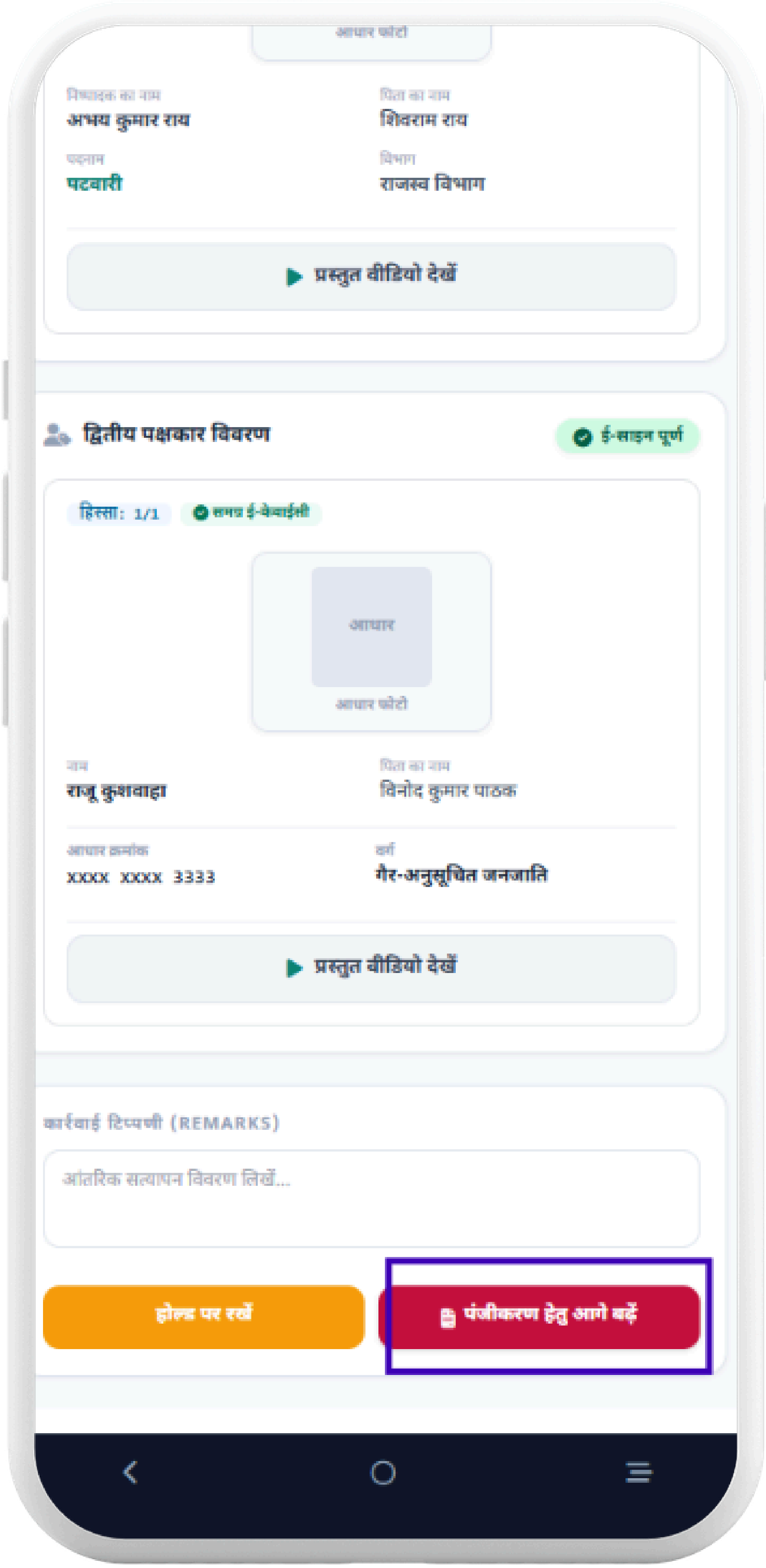

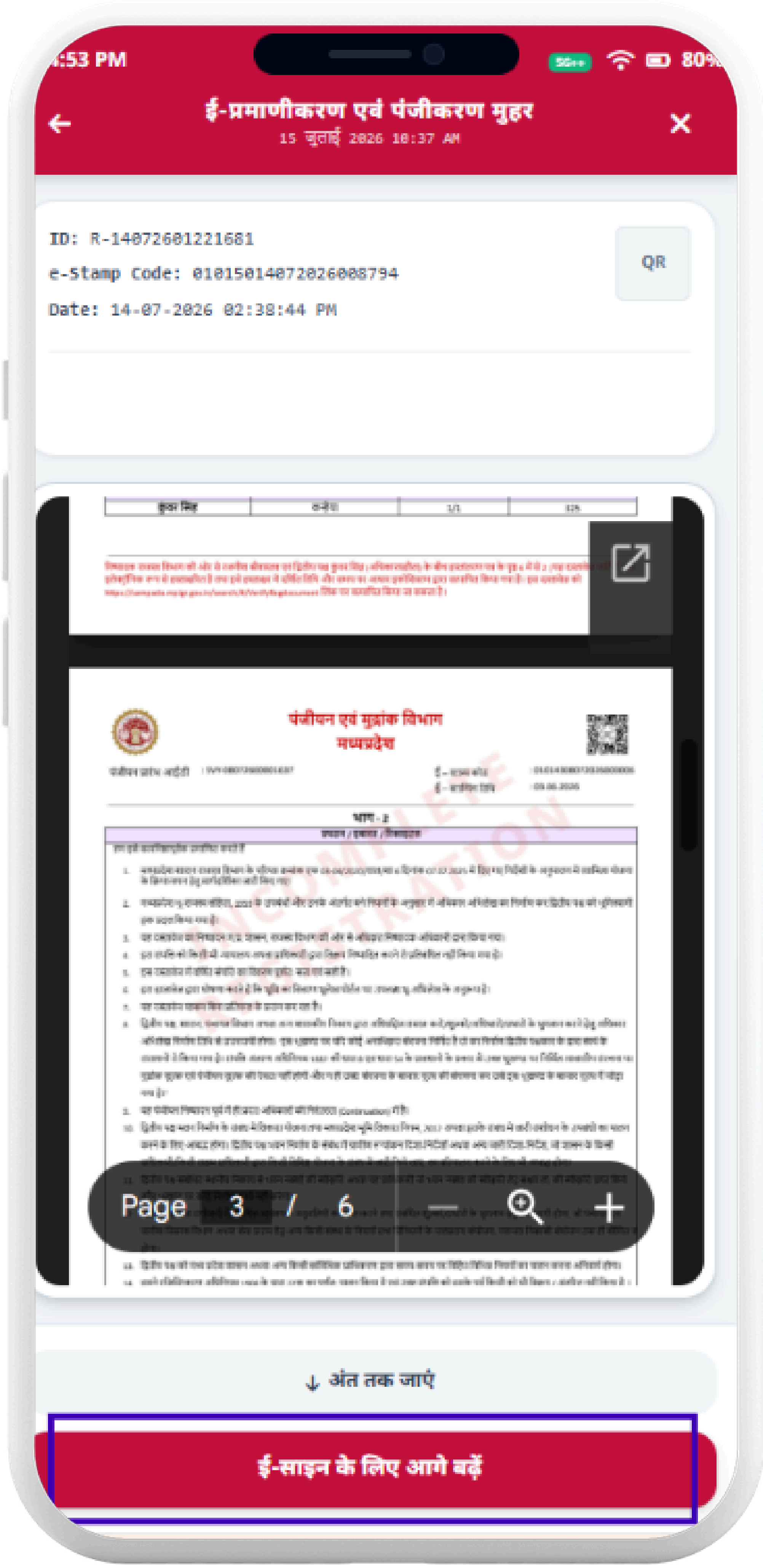

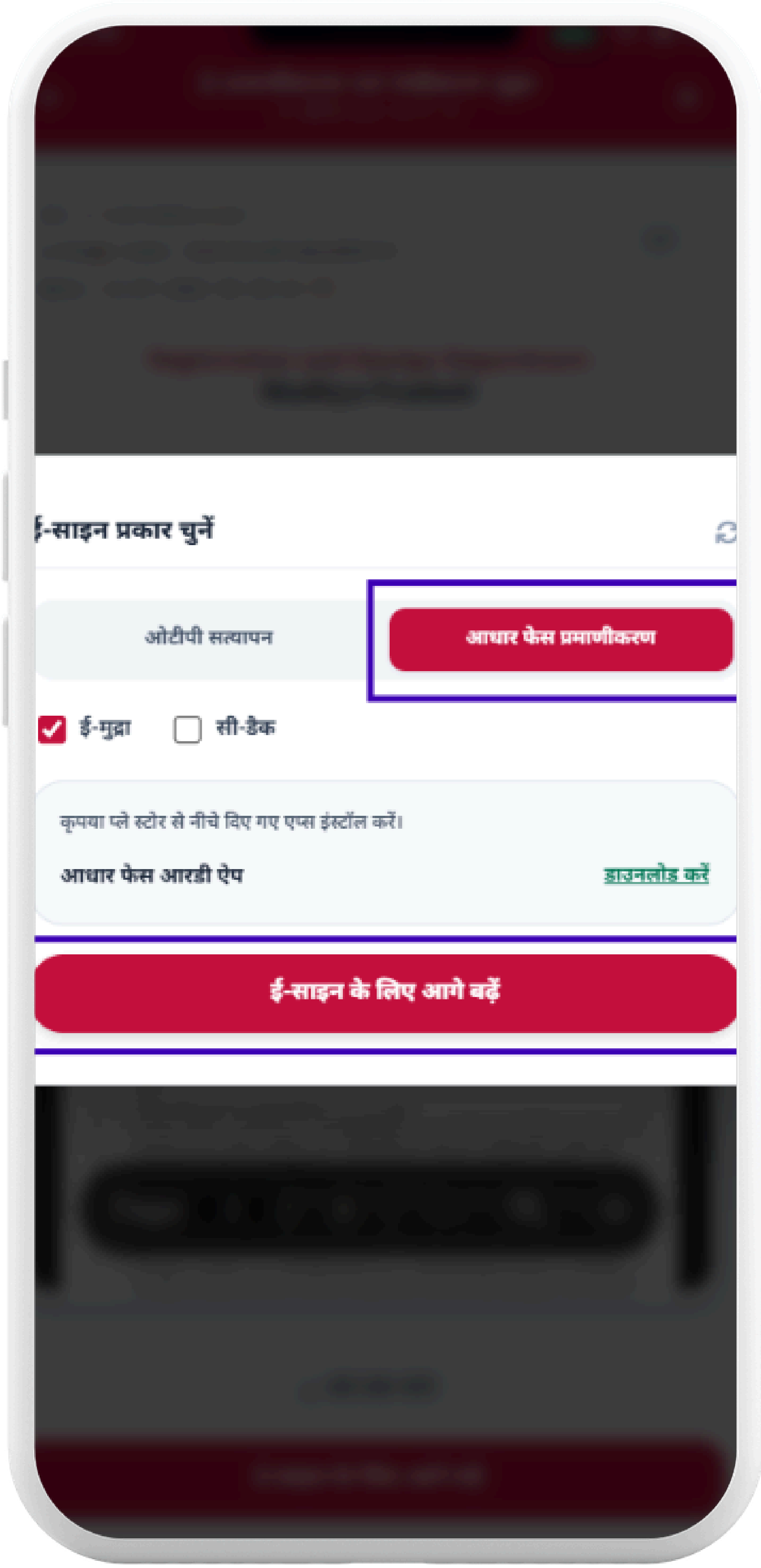

चरण 4: पंजीकरण पूर्ण

- चयनित विकल्प के अनुसार "OTP जनरेट करें" पर प्राप्त OTP दर्ज कर आधार eKYC की प्रक्रिया पूर्ण करें। अथवा "चेहरा प्रमाणीकरण करें" बटन पर क्लिक कर आधार eKYC की प्रक्रिया पूर्ण करें।
- आधार eKYC सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद "क्या अनुसूचित जनजाति से हैं?" के लिए हाँ अथवा नहीं का चयन कर तो घोषणा स्वीकार कर "पुष्टि करें" बटन पर क्लिक कर अपने चयन की पुष्टि करें।।

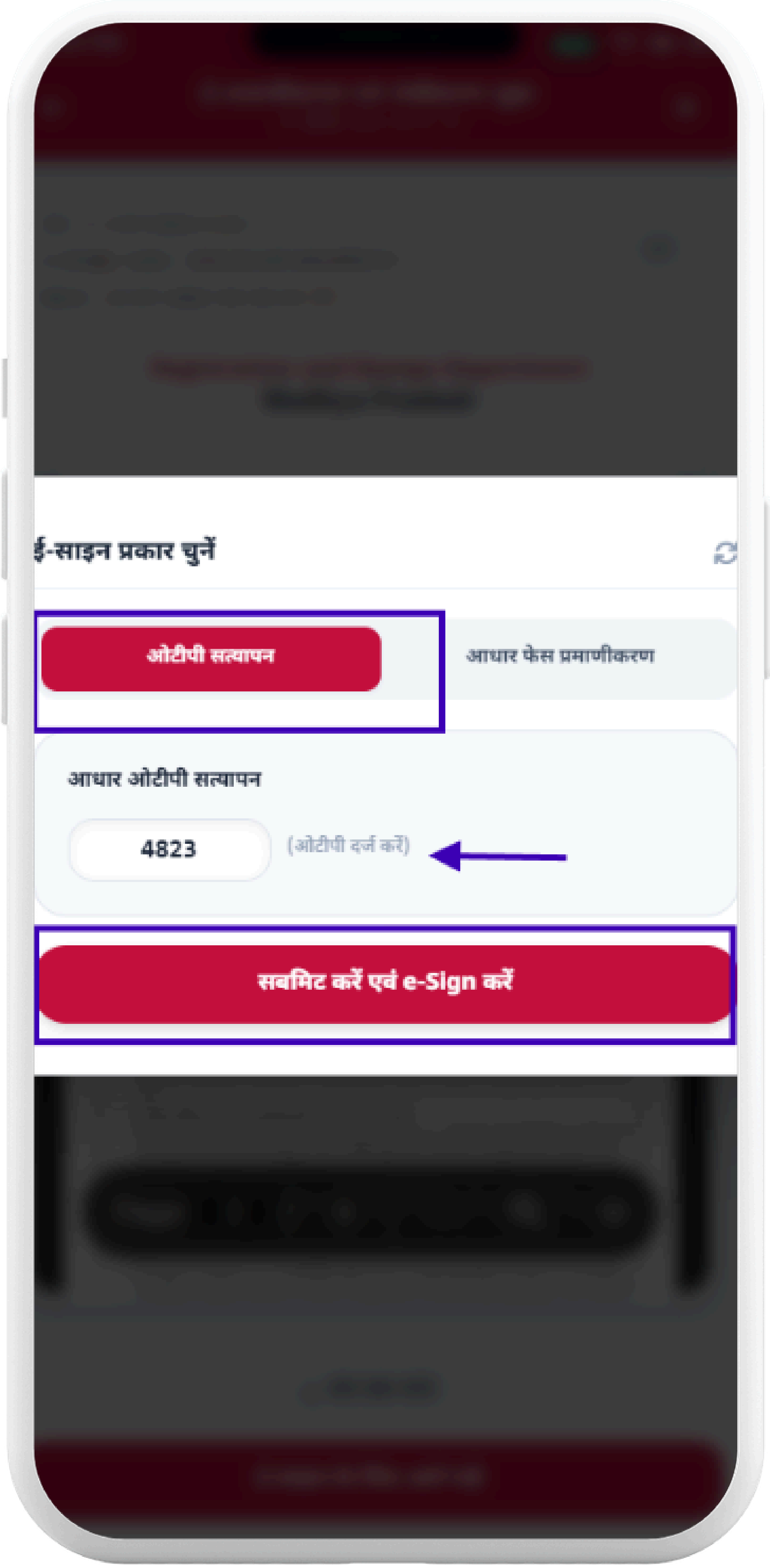

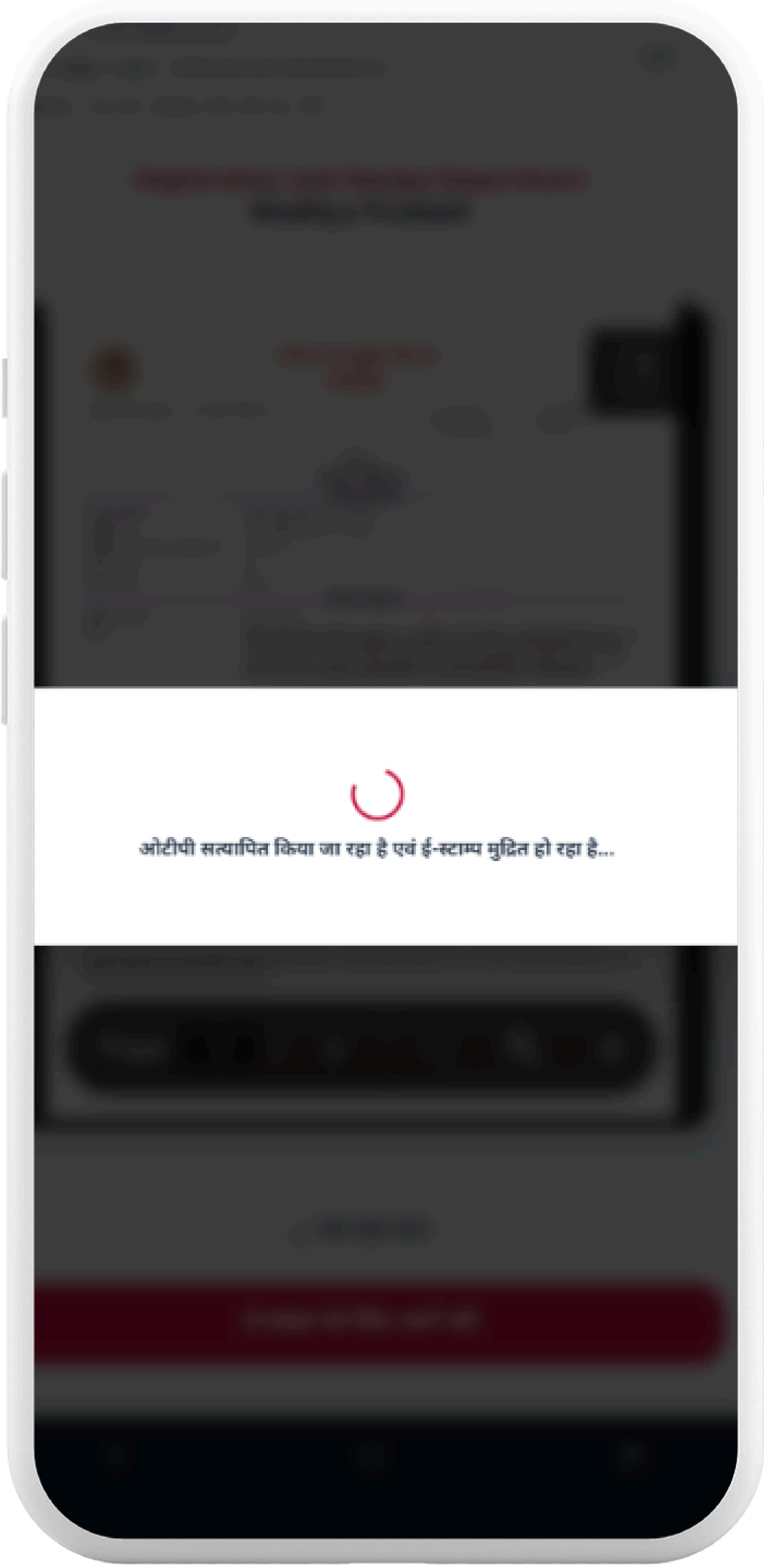

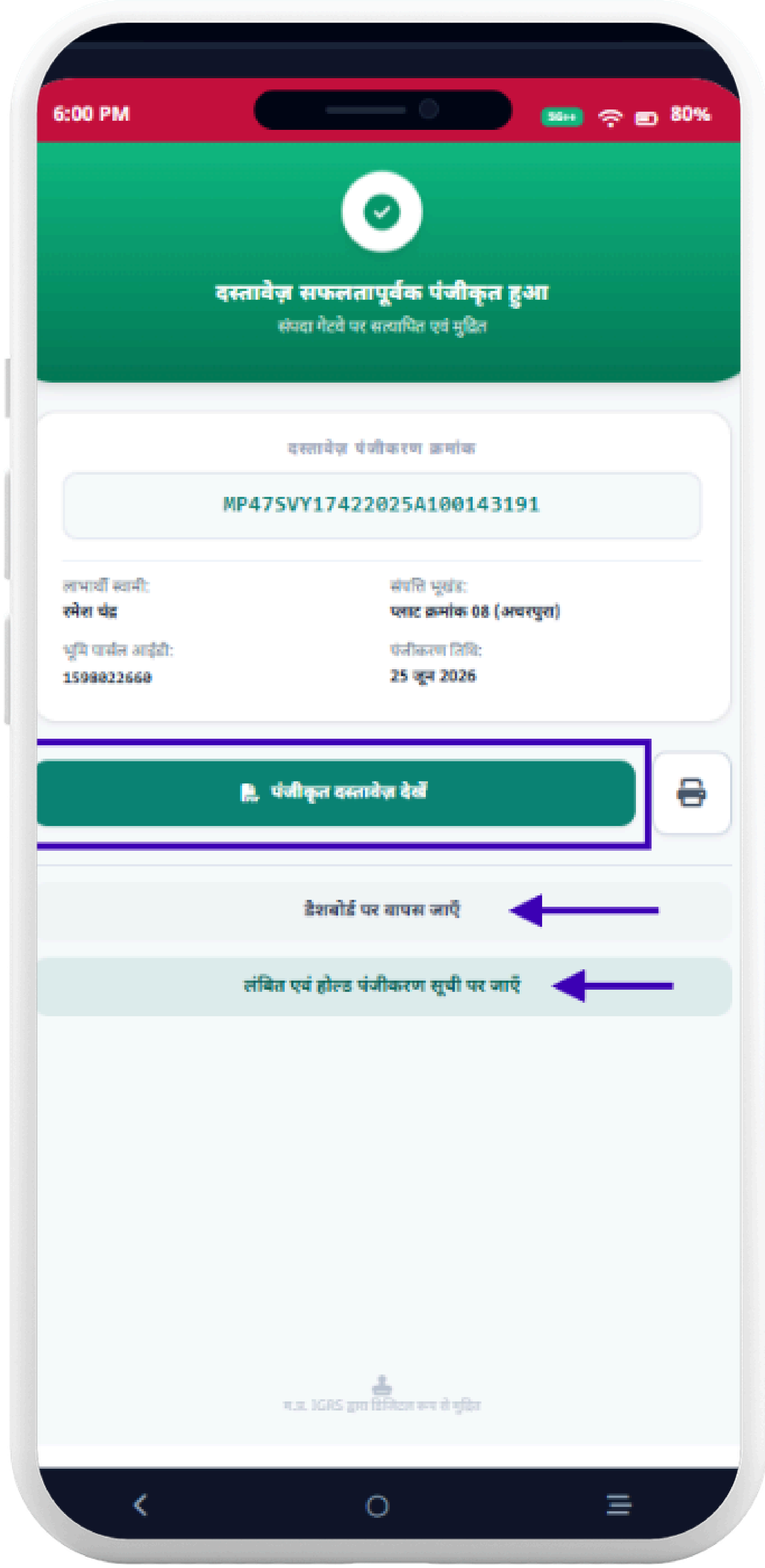

अन्य स्टेटस

- स्वामित्व दस्तावेज़ आवेदन स्क्रीन पर "होल्ड आवेदन" टैब का चयन करें। संबंधित ग्राम के सामने प्रदर्शित संख्या पर क्लिक कर होल्ड आवेदनों की सूची देखें।
- स्वामित्व दस्तावेज़ आवेदन स्क्रीन पर "पूर्ण पंजीकरण" टैब का चयन करें। संबंधित ग्राम के सामने प्रदर्शित संख्या पर क्लिक कर पूर्ण पंजीकृत आवेदनों की सूची देखें। प्रदर्शित सूची में से संबंधित आवेदन का चयन कर उसके पंजीकरण का विवरण एवं दस्तावेज़ देखें।